"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 जनवरी 2011—पौष 15, शक 1932

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-122/खाद्य/2010/29.—विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 53 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार भारत सरकार से परामर्श के उपरान्त एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 कहलाएंगे।
   (2) इनका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
   (3) ये नियम ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जो राज्य शासन अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा इन नियमों के विभिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. **परिभाषाएँ.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —
   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009;
   (ख) "निर्देश मानक प्रयोगशाला" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र शासन द्वारा स्थापित प्रयोगशाला, जहां निर्देश मानक द्वितीयक मानक और कार्यकारी मानक अनुरक्षित किये जाते हैं;

(ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न अनुसूची;

(घ) शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः नियत है।

3. **निर्देश मानक.**– निर्देश मानक ऐसे स्थान में, ऐसी रीति एवं ऐसी अभिरक्षा में रखे जाएंगे जैसा कि विधिक माप विज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011 में यथा विहित किया जाए।

4. **द्वितीयक मानक.**– (1) प्रत्येक द्वितीयक मानक किसी निर्देश मानक प्रयोगशाला में ऐसी रीति और ऐसे नियतकालिन अन्तराल में सत्यापित किये जाएंगे, जैसा कि नियम में विहित किया जाए तथा ऐसे सत्यापन को, अधिनियम के अंतर्गत या उसके द्वारा स्थापित मानकों के अनुरूप पाए जाने पर, निर्देश मानक प्रयोगशाला द्वारा मुद्रांकित किया जाएगा या सत्यापन प्रमाण पत्र उस प्रयोगशाला द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) द्वितीयक मानक ऐसे स्थान पर तथा ऐसी अभिरक्षा में रखे जाएंगे, जैसा कि नियंत्रक द्वारा निर्देशित किया जाए।

5. **कार्यकारी मानक.**– (1) प्रत्येक कार्यकारी मानक या तो किसी निर्देश मानक प्रयोगशाला या राज्य द्वारा पोषित किसी द्वितीयक मानक प्रयोगशाला में ऐसी रीति और ऐसे नियतकालिन अन्रालों में सत्यापित होंगे, जैसा कि नियम में विहित किया जाए, तथा ऐसे सत्यापन को अधिनियम के अंतर्गत या उसके द्वारा स्थापित मानकों के अनुरूप पाए जाने पर मुद्रांकित किया जाएगा या सत्यापन प्रमाण पत्र उस प्रयोगशाला द्वारा, जैसी स्थिति हो जारी किया जायेगा।

(2) कार्यकारी मानक विधिक माप विज्ञान अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

6. **द्वितीयक मानक तुलाएँ.**– (1) द्वितीयक मानक तुलाओं का एक सेट ऐसी प्रत्येक जगह पर जहां द्वितीयक मानक बाट रखे गए हैं अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) ऐसी तुलाओं की संख्या, प्रकार और विनिर्देश ऐसे होंगे, जैसा कि विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अधीन विहित किए जाएं।

(3) प्रत्येक द्वितीयक मानक तुला बारह माह की कालावधि में कम से कम एक बार सत्यापित की जाएगी तथा समायोजित की जाएगी, यदि आवश्यक हो, तो अधिनियम में विहित सुग्राहिता की सीमाओं और अन्य मापकीय गुणवत्ता के अंतर्गत, इसमें निर्देश मानक प्रयोगशाला द्वारा या नियंत्रक द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी जो नियंत्रक द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत किया जाए, संशोधन किया जाएगा।

7. **कार्यकारी मानक तुलायें.**– (1) कार्यकारी मानक तुलाओं का एक सेट ऐसी प्रत्येक जगह पर जहां कार्यकारी मानक बाट रखे गए हैं, अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) ऐसी तुलाओं की संख्या, प्रकार और विनिर्देश ऐसे होंगे, जैसा कि विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अधीन विहित किया जाए।

(3) प्रत्येक कार्यकारी मानक तुलायें बारह माह में कम से कम एक बार सत्यापित की जाएंगी, और यदि आवश्यक हुआ तो उसे विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अधीन विहित सुग्राहिता सीमाओं और अन्य मापकीय गुणों के भीतर निर्देश मानक प्रयोगशाला अथवा अन्य स्थान पर जहां राज्य सरकार द्वारा द्वितीय मानक प्रयोगशाला बनाए रखे जाते हैं, के द्वारा समायोजित किया जायेगा।

8. **बाट एवं माप के भौतिक लक्षण, आकृति, संरचनात्मक ब्योरा.**– प्रत्येक बाट या माप जिनका किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिये उपयोग किया जाता है या उपयोग करना आशयित है, से सम्बद्ध भौतिक लक्षण, आकृति, संरचनात्मक ब्योरे, सामग्री, सम्पादन (कार्यशीलता) सहनता एवं ऐसे अन्य ब्योरे अधिनियम अथवा विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अधीन विहित विनिर्देशों के अनुरूप होंगे।

9. **बुलियन बाटों, कैरेट बाटों इत्यादि का उपयोग.**– (1) सामान्य नियम, 2010 में यथा विनिर्दिष्ट बुलियन बाट से भिन्न किसी बाट का बुलियन में जिसके अन्तर्गत बहुमूल्य धातु, मोती आभूषण या स्वर्ण या रजत की

बनी अन्य वस्तुएं भी सम्मिलित है किसी संव्यवहार या संरक्षण में उपयोग नहीं किया जाएगा।

(2) कैरेट बाट से भिन्न किसी बाट का बहुमूल्य पत्थरों के किसी संव्यवहार में उपयोग नहीं किया जाएगा।

(3) केवल वर्ग क या वर्ग ख श्रेणी की बीम स्केल अथवा उच्चतर शुद्धता वर्ग (वर्ग दो) अथवा विशेष शुद्धता वर्ग (वर्ग एक) के गैर स्वचालित तौल यंत्र का उपयोग उप–नियम (1) एवं (2) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार में नहीं किया जाएगा।

10. **कतिपय मामलों में केवल बाट या केवल माप या केवल संख्याओं का उपयोग.**– अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मामलों को छोड़कर, प्रत्येक संव्यवहार में मात्रा, सौदा या संविदा या संरक्षण के लिए इकाईयों के पद की घोषणा –

(क) यदि वस्तु ठोस, अर्द्ध– ठोस, चिपचिपा या ठोस एवं द्रव्य का मिश्रण है तो बाट वजन की इकाई के रूप में होगा;

(ख) यदि वस्तु का रेखीय माप द्वारा विक्रय किया जाता है, तो लम्बाई की इकाई के रूप में होगा;

(ग) यदि वस्तु का क्षेत्रीय माप द्वारा विक्रय किया जाता है, तो क्षेत्र की इकाई के रूप में होगी;

(घ) यदि वस्तु द्रव्य है या उसका विक्रय घनीय माप द्वारा किया जाता है, तो आयत की इकाई के रूप में होगा; या

(ड.) यदि वस्तु का विक्रय संख्या के रूप में किया जाता है, तो संख्या की इकाई के रूप में होगा।

11. **बाट और माप विनिर्माताओं, मिस्त्रियों (सुधारकों) और व्यवहारियों की अनुज्ञप्ति.**–(1) बाट या माप का प्रत्येक विनिर्माता या मिस्त्री या व्यवहारी अनुज्ञप्ति देने के लिये आवेदन नियंत्रक विधिक माप विज्ञान या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुसूची दो–क में उपवर्णित समुचित प्ररूप में करेगा।

(2) बाट या माप का प्रत्येक विनिर्माता या मिस्त्री या व्यवहारी अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की समाप्ति से तीस दिन पूर्व नियंत्रक विधि माप विज्ञान या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये अनुसूची दो–ख में उपवर्णित समुचित प्ररूप में आवेदन करेगा।

(3) किसी विनिर्माता, मिस्त्री या व्यवहारी को जारी की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति अनुसूची–तीन में उपवर्णित समुचित प्ररूप में होगी।

(4) किसी विनिर्माता, मिस्त्री या व्यवहारी को ज़ारी की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति कम से कम एक कैलेण्डर वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये विधिमान्य होगी तथा अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिवर्ष शुल्क का भुगतान करने पर नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, दो वर्षों की कालावधि के लिए नवीनीकृत की जा सकेगी।

(5) अनुज्ञप्ति के परिवर्तन के लिए अथवा अनुज्ञप्ति की छाया प्रति जारी करने के लिये संदेय शुल्क अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति शुल्क का आधा होगा।

परंतु अनुसूची–चार में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शुल्क पूर्ण दरों पर आवेदक द्वारा संदेय होगा, यदि वह अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन करने के लिए नियंत्रक द्वारा अनुज्ञात हो।

(6) नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी, अनुज्ञप्ति प्राप्त विनिर्माताओं, मिस्त्रियों तथा व्यवहारियों का अनुसूची–पॉच में दिये गये प्ररूप में पंजी संधारित करेंगे।

(7) अधिनियम तथा इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक विनिर्माता/मिस्त्री/व्यवहारी ऐसी कार्यशाला/उपकरण/औजार/पंजी इत्यादि जैसी स्थिति हो, अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार संधारित करेंगे।

(8) अधिनियम एवं इन नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक मिस्त्री राज्य शासन के पास अनुसूची–छः में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए सुरक्षा निधि संदेय करेगा।

(9) इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी या नवीनीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति परिसर के ऐसे सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी, जहाँ अनुज्ञप्तिधारी व्यवसाय करता हो।

(10) इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी या नवीनीकृत अनुज्ञप्ति न तो विक्रय योग्य होगी, न ही हस्तांतरणीय होगी।

12. **प्रदत्त अनुज्ञप्ति का निलम्बन तथा निरसन.**– (1) नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी के पास यदि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त कारण है कि किसी अनुज्ञप्तिधारी के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत जारी, नवीनीकृत या सतत रूप से प्रभावशील अनुज्ञप्ति के किसी कथन में या उसके संबंध में, अनुज्ञप्ति जारी करने, नवीनीकरण करने या सतत रूप से बनाए रखने के लिए किये गए किसी आवेदन में कोई विशेष बिन्दु भ्रामक या असत्य है या अधिनियम के उपबन्धों या किसी नियम या उसके अन्तर्गत जारी आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक के विरूद्ध किसी जांच के पूर्ण होने तक ऐसी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा, लंबित रख सकेगा।

परंतु यह कि ऐसी कोई अनुज्ञप्ति तब तक निलंबित नहीं की जा सकेगी जब तक की अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

परंतु यह और कि जहाँ अनुज्ञप्ति के निलंबन की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर इस उप–धारा में निर्दिष्ट जांच पूर्ण नहीं हो जाती, ऐसा निलंबन उक्त अवधि की समाप्ति के बाद स्वमेव समाप्त माना जाएगा।

(2) नियंत्रक अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी का ऐसी जांच के करने के उपरांत जैसा कि वह उचित समझे, यदि यह समाधान हो जाए कि अनुज्ञप्तिधारी ने उप–नियम (1) में निर्दिष्ट प्रवृत्ति का असत्य एवं भ्रामक कथन किया है अथवा उस उप–धारा में निर्दिष्ट किसी विधि या आदेश का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसी अनुज्ञप्ति को निरस्त करेगा :

परंतु ऐसी अनुज्ञप्ति तब तक निरस्त नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(3) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित की गई हो, वह ऐसे निलंबन के तुरन्त पश्चात् ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के रूप में अपना कार्य बंद कर देगा और ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के रूप में पुनः व्यापार नहीं करेगा, जब तक की ऐसा निलंबन आदेश समाप्त न हो जाए या समाप्त न किया जा चुका हो।

(4) प्रत्येक ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा निरस्त की जा चुकी हो, ऐसे निलंबन या निरसन के पश्चात जैसी भी स्थिति हो, उस प्राधिकारी को ऐसी अनुज्ञप्ति समर्पित करेगा, जिसके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति जारी की गई हो।

(5) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी अनुज्ञप्ति निरसित हो चुकी है, ऐसे निरसन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अथवा ऐसी आगामी अवधि के भीतर जो कि ऐसी तारीख से तीन माह से अधिक न हो, नियंत्रक अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को पर्याप्त कारण बताये जाने पर ऐसे निरसन की तारीख पर उसके आधिपत्य, कब्जे अथवा नियंत्रण में रखे गये बाट या माप के व्ययन की मंजूरी दे सकता है तथा ऐसा करने में विफल रहने पर नियंत्रक अथवा उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इसे जप्त कर व्ययन कर सकता है और उसके आगम को ऐसी रीति से वितरित कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाए।

13. **विनिर्माता इत्यादि के द्वारा अभिलेख का रखा जाना.**– प्रत्येक विनिर्माता अथवा सुधारक अथवा व्यवहारी जिसे अधिनियम तथा इन नियमों के अन्तर्गत बाट या माप की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, अनुसूची–सात में दिए गए समुचित प्ररूप में अभिलेख और पंजी संधारित करेगा और वह ऐसे नियतकालिक प्रतिवेदन/विवरणी भी प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाए।

14. **बाटो या मापों के सत्यापन के लिये नियतकालिक अन्तराल.**– (1) बाटों या मापों के सत्यापन के लिए नियतकालिक अन्तरालें विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

15. **बाटों अथवा मापों का सत्यापन और निरीक्षण.**— (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी बाट या माप का किसी संव्यवहार या संरक्षण के लिये उपयोग कर रहा है, ऐसे बाट या माप को सत्यापन/पुनः सत्यापन के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय या ऐसे अन्य स्थान में जिसे विधिक माप विज्ञान अधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें उस तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा जिसका सत्यापन अपेक्षित है।

परंतु जहॉं कोई बाट या माप ऐसे हैं कि उन्हें उनके स्थान से नहीं हटाया जा सकता या नहीं हटाया जाना चाहिये, वहां व्यक्ति जो ऐसे बाट या माप का उपयोग कर रहा है उस तारीख से, जिससे सत्यापन अपेक्षित है, कम से कम 30 दिन पूर्व विधिक माप विज्ञान अधिकारी को रिपोर्ट देगा।

(2) जहॉं कोई बाट या माप ऐसे हैं, कि उन्हें उनके स्थान से नहीं हटाया जा सकता या नहीं हटाया जाना चाहिए, वहां विधिक माप विज्ञान अधिकारी ऐसे बाट या माप के अवस्थित स्थान पर उनके सत्यापन के लिये आवश्यक उपाय करेगा।

(3) उप–नियम (2) में निर्दिष्ट बाट या माप के सत्यापन के लिए उपयोगकर्ता ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध करायेगा, जैसा कि नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(4) प्रत्येक बाट या माप जो सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया हो, वह स्वयं में पूर्ण होगा।

(5) प्रत्येक बाट या माप साफ सुथरी हालत में सत्यापित किया जांएगा तथा यदि आवश्यक हो, तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी, स्वामी या उपयोगकर्ता को इस प्रयोजन के लिये आवश्यक व्यवस्था करने की अपेक्षा करेगा।

(6) विधिक माप विज्ञान अधिकारी नियम 14 के उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान यथासंभव अंतराल में उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्येक परिसर में किसी बाट या माप का, जो किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिये उपयोग में लाया जाता हो या उपयोग में लाये जाने के लिए आशयित या संभव हो, जाकर निरीक्षण व जांच कर सकेगा।

(7) विधिक माप विज्ञान अधिकारी किसी बाट या माप पर मुद्रांकन का लोप करेगा, यदि निरीक्षण के दौरान यह पाया जाए कि:—

(क) ऐसे बाट या माप, जिनका पुनः–सत्यापन शेष है, ऐसे पुनः सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) ऐसे बाट या माप जो अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित मानकों के अनुरूप नहीं है।

परंतु जहॉं कि विधिक माप विज्ञान अधिकारी की यह राय है कि ऐसे बाट या माप में खराबी या त्रुटि इस प्रकार की है कि मुद्रा का अविलम्ब विलोपन (उत्खनन) किया जाना आवश्यक नहीं हैं तो वह ऐसे बाट, माप में पाई गई खराबी या त्रुटि की सूचना उपयोगकर्ता को देगा और उपयोगकर्ता को ऐसे समय के भीतर जो 8 दिन से अधिक का नहीं होगा खराबी या त्रुटि को दूर करने के लिये कहेगा तथा—

(एक) यदि उपयोगकर्ता उस अवधि के अंदर खराबी या त्रुटि को दूर करने में असफल रहता है, तो मुद्रा का विलोपन (उत्खनन) करेगा या

(दो) यदि खराबी या त्रुटि को इस प्रकार से दूर किया जाता है कि जिससे बाट या माप अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित मानकों के अनुरूप बन जाए, तो ऐसे बाट या माप का सत्यापन व मुद्रांकन कर सकेगा।

स्पष्टीकरणः— किसी बाट या माप से मुद्रा का विलोपन (उत्खनन) विधिक माप विज्ञान अधिकारी की इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे बाट या माप को अधिग्रहण करने की शक्ति को समाप्त या कम नहीं करेगा।

16. **बाटों या मापों का मुद्रांकन.**— (1) विधिक माप विज्ञान अधिकारी का, यदि परीक्षण तथा सत्यापन के पश्चात, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे बाट या माप अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप हैं, तो प्रत्येक बाट या माप को नियंत्रक द्वारा जारी की गई एक डिजाइन की ऐसी मुद्रा से मुद्रांकित करेगा, जिसे प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये उस विधिक माप विज्ञान अधिकारी को जिसके द्वारा उसे मुद्रांकित किया गया है, आबंटित संख्या निर्दिष्ट की गई हो।

परंतु यदि किसी बाट या माप के आकार या स्वरूप के कारण उस पर मुद्रांकन करना वांछनीय या साध्य नहीं हो, तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी ऐसी कार्यवाही करेगा, जैसा कि नियंत्रक द्वारा साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी प्रत्येक सत्यापित बाट या माप पर मुद्रांकन वर्ष और उस वर्ष की तिमाही भी, सिवाय इसके जब ऐसे बाट या माप के आकार या प्रकृति के कारण ऐसा करना असाध्य हो, चिन्हांकित करेगा।

स्पष्टीकरणः– कोई वर्ष चार तिमाहियों से मिलकर बना समझा जाएगा। जिसमें प्रथम तिमाही जनवरी, फरवरी तथा मार्च माह की होगी जिसे क से चिन्हांकित किया जाएगा; दूसरी तिमाही अप्रैल, मई तथा जून माह की होगी जिसे ख से चिन्हांकित किया जाएगा; तीसरी तिमाही जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर माह की होगी जिसे ग से चिन्हांकित किया जायेगा तथा चौथी तिमाही अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर माह की होगी जिसे घ से चिन्हांकित किया जाएगा।

(3) सत्यापन व मुद्रांकन पूरा होने पर विधिक माप विज्ञान अधिकारी अनुसूची–आठ में दिये गये प्ररूप में सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(4) जहां कोई सत्यापन प्रमाण पत्र गुम या नष्ट हो जाता है, वहां सत्यापन प्रमाण पत्र धारक सत्यापन प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिये उस विधिक माप विज्ञान अधिकारी को अविलंब आवेदन करेगा, जिसने प्रमाण पत्र जारी किया था। प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये ऐसा प्रत्येक आवेदन दस रूपए के शुल्क सहित होगा।

(5) उप–नियम (4) के अधीन आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, विधिक माप विज्ञान अधिकारी आवेदक को सत्यापन प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा जो 'द्वितीय प्रति' से चिन्हांकित होगा।

17. सत्यापन के लिये शुल्क.– (1) विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय या शिविर कार्यालय में बाट या माप के सत्यापन और मुद्रांकन के लिये देय शुल्क अनुसूची–नौ में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।

(2) यदि, बाट या माप के उपयोगकर्ता के अनुरोध पर, विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय या शिविर कार्यालय से भिन्न किसी परिसर में सत्यापन किया जाता है तो अनुसूची–नौ में निर्दिष्ट दर की आधी दर पर अतिरिक्त शुल्क प्रभारित किया जाएगा और बाट या माप उपयोगकर्ता परिसर में निरीक्षण के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा किये गये व्यय का संदाय भी करेगा जिसके अन्तर्गत कार्यकारी मानक और उपस्कर के परिवहन और उसकी उठाई–धराई का खर्च भी सम्मिलित होगा, जो न्यूनतम रूपये 100.00 के अध्यधीन होगा।

परंतु यथा स्थान बाट तथा माप के सत्यापन तथा मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त शुल्क प्रभारित नहीं होगा।

(एक) पेट्रोलियम उत्पादों तथा अन्य तरल पदार्थों के लिए टैंक यान, पानी के अतिरिक्त अन्य तरल पदार्थों के लिए मीटर (डिस्पेंसर पम्प, एल.पी.जी., मिल्क डिस्पेंसर), सी.एन.जी. डिस्पेंसर, गैर स्वचालित तौल उपकरण जैसे वेब्रिज, प्लेटफार्म मशीन, क्रेन स्केल, स्वचालित ग्रेवेटिक फिलिंग उपकरण, स्वचालित रेल वेब्रिज, डिसकन्टीनीव आटोमेटिक टोटलाइजर वेइंग मशीन एवं अन्य ऐसे बाट या माप जो उसके स्थान से हटाये नहीं जा सकते तथा नही हटाये जाने चाहिए।

(दो) ऐसे बाट एवं माप के निर्माता या व्यवहारी के परिसरों में बाट या माप।

(3) यदि कोई बाट या माप मुद्रांकन की विधिमान्यता की समाप्ति के पश्चात् पुनः सत्यापन हेतु विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुसूची–नौ में निर्दिष्ट दरों की आधी दर पर अतिरिक्त शुल्क, वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिये देय होगा।

(4) निर्माता या व्यवहारी के स्टाक में से किसी बाट या माप के उस तारीख को, जिसमें उस पर अंतिम बार मुद्रांकन किया गया था, नियम 14 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनः मुद्रांकन के लिये पूरा शुल्क देय होगा, परंतु यह तब जब मूल मुद्रांकन मिटा न दिया गया हो।

(5) किसी बाट या माप के सत्यापन/निरीक्षण पर गलत पाये जाने पर उसे समायोजन के लिये, बाट या माप में पाई गई त्रुटियों की, नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में जानकारी देते हुए और उन त्रुटियों को

अधिक से अधिक 7 दिन की अवधि के भीतर दूर करने के लिए अपेक्षा करते हुए संबंधित व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा। जब आवश्यक समायोजन कर दिया जाए, तो ऐसे बाट व माप का अनुसूची–नौ में विनिर्दिष्ट शुल्क का संदाय कर दिये जाने पर सत्यापन किया जाएगा और यदि सही पाया जाता है तो मुद्रांकन किया जाएगा।

18. **फीस का संग्रहण और उसे खजाने में जमा किया जाना.**– (1) सत्यापन या पुनः–सत्यापन का कार्य प्रारंभ करने के पहले, विधिक माप विज्ञान अधिकारी संबंधित व्यक्ति को उसके द्वारा संदेय शुल्क की सूचना देगा और उसे नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत रीति से प्राप्त करेगा और नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्ररूप में उसकी रसीद देगा, ऐसे रसीद की एक प्रति अभिलेख में रखी जाएगी।

परंतु केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभाग द्वारा इन नियमों के अधीन संदेय शुल्क ऐसी रीति से वसूल किया जाएगा, जैसा कि नियंत्रक द्वारा निर्देशित किया जाये।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्ररूप में एक पंजी रखेगा, जो दिन–प्रतिदिन भरी जाएगी और उसमें उस दिन के दौरान संग्रहित किए गए शुल्क और अन्य प्रभारों की राशि दर्शित की जाएगी।

(3) सप्ताह के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये सभी शुल्क सरकारी खजाने में, समुचित ''लेखा शीर्ष'' के अधीन ऐसी तारीख या दिनों को जो नियंत्रक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएं, संदत्त किये जाएंगे और उसकी रसीद प्राप्त की जाएगी और इस परिणाम की सूचना नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी को भेजी जाएगी।

19. **अधिग्रहित बाटों, मापों इत्यादि का निराकरण.**– (1) कोई भी असत्यापित बाट या माप, उस व्यक्ति को, जिससे ऐसा बाट या माप अधिग्रहित (जप्त) किया गया हो, वापस कर दिया जाएगा यदि वह व्यक्ति मुद्रांकन की वैधता के समाप्त होने के पश्चात पुनः सत्यापन के लिए विहित शुल्क जिसमें अतिरिक्त शुल्क भी सम्मिलित है, वापसी के 15 दिनों के भीतर जमा कर देता है तो वह यथावत सत्यापन व मुद्रांकन प्राप्त कर लेता है।

(2) अधिनियम की धारा 15 के अधीन अधिग्रहित तथा निरूद्ध कोई बाट या माप या दस्तावेज या वस्तु या माल जो न्यायालय की कार्यवाहियों का विषय है, विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसे कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाएगा और न्यायालय के आदेशों के अनुरूप उसका निपटारा किया जाएगा।

परंतु न्यायालय के आदेश के अभाव में, बाट या माप या दस्तावेज या वस्तु या माल का उस प्रकार निपटारा किया जाएगा, जैसा कि नियंत्रक विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे और उसकी सामग्री का विक्रय कर आगम सरकार को जमा किया जाएगा।

(3) यदि, अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभिग्रहित कोई वस्तु शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी अपने पास या अपराध स्थल के निकट उपलब्ध सत्यापित तौल या माप उपकरण पर वस्तु की तौल या माप करवाएगा और वस्तु की वास्तविक तौल या माप को इस प्रयोजन को लिये नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रविष्ट करेगा, और व्यापारी या उसके अभिकर्ता या ऐसे अन्य व्यक्ति जिसने अपराध किया है, के हस्ताक्षर लेगा। आक्षेपित वस्तु, यथा स्थिति व्यापारी या क्रेता को वापस कर दी जाएगी।

परंतु यदि व्यापारी या उसका अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति (जिसने अपराध किया है) प्ररूप पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी व्यापारी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के ऐसे इंकार करने के समय उपस्थित कम से कम दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर लेगा। वस्तु, व्यापारी को वापस करने की स्थिति में वह इस आशय से उसका उपक्रमण करेगा कि वह बिना उसकी त्रुटि दूर किये त्रुटिपूर्ण वस्तु का विक्रय नहीं करेगा।

(4) जहाँ अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन अभिग्रहित वस्तु किसी पैकेज में बंद हो और पैकेज नकली है या अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं है

और ऐसे पैकेज में वस्तु शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, वहां विधिक माप विज्ञान अधिकारी, जहां तक हो सके ऐसे पैकेज में वस्तु का वस्तु का व्ययन उप–नियम (3) के उपबंधों के अनुसार कर सकेगा।

परंतु यह निर्णय लेने होने हेतु नियंत्रक अंतिम प्राधिकारी होगा, कि अभिग्रहित और निरूद्ध वस्तु शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है।

(5) जहां अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन अभिग्रहित वस्तु शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील नहीं है, वहां विधिक माप विज्ञान अधिकारी व्यापारी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को (जिसने अपराध किया है) ऐसे अधिग्रहण की सूचना देने के पश्चात् पैकेज को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन के लिये रख सकेगा।

(6) उप–नियम (4) एवं (5) के अधीन विनिर्दिष्ट वस्तु, जो इसके अधिग्रहण के 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात, न्यायालय की कार्यवाहियों का विषय नहीं होगी, का ऐसा निपटारा किया जाएगा, जैसा कि नियंत्रक अपने विशेष आदेश के द्वारा निर्देशित करे।

20. **सम्यक रूप से मुद्रांकित बाटो या मापों की वैधता.–** (1) इस नियम के तहत सम्यक रूप से सत्यापित और मुद्रांकित किये गये या माने गये, बाट या माप राज्य के भीतर प्रत्येक उस जगह पर जहां उन्हें मुद्रांकित किया गया है, अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित मानकों के अनुरूप माने जाएंगे जब तक निरीक्षण या सत्यापन करने पर यह नहीं पाया जाता कि ऐसे बाट या माप अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित मानकों के अनुरूप नहीं रह गए हैं।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत सम्यक रूप से सत्यापित व मुद्रांकित किये गये, या माने गये बाट या माप को केवल इस कारण से पुनः मुद्रांकित करने की आवश्यकता नहीं होगी, कि इसका उपयोग राज्य के भीतर उस स्थान को छोड़कर जहां से यह मूल रूप में सत्यापित व मुद्रांकित किया गया था, अन्य स्थान पर किया जा रहा है।

परंतु जहाँ एक स्थान पर स्थापित सत्यापित बाट या माप को खोला जाता है तथा उसे भिन्न स्थान पर पुनःस्थापित किया जाता है, तो ऐसे बाट या माप को उपयोग में तब तक लाया नहीं जा सकेगा, जब तक कि इस बात के होते हुए भी कि ऐसे बाट या माप के नियतकालिक पुनः सत्यापन का समय अभी नहीं आया है, उसे सम्यक रूप से पुनः सत्यापित व मुद्रांकित न कर दिया गया हो।

(3) जहाँ किसी अनुज्ञप्तिधारी सुधारक द्वारा या उसके स्वामी तथा उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, सत्यापित बाट या माप की मरम्मत (सुधार कार्य) की जाए, वहाँ ऐसे बाट या माप का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उसे सम्यक रूप से पुनः सत्यापित या मुद्रांकित न कर दिया गया हो, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे बाट या माप के नियतकालिक पुनः सत्यापन का समय अभी नहीं आया है।

21. **विधिक माप विज्ञान अधिकारी की अर्हता.–** विधिक माप विज्ञान अधिकारी की अर्हता विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में परिभाषित अनुसार होगी।

22. **विधिक माप विज्ञान अधिकारी को कार्यकारी/द्वितीयक मानक, उपस्कर इत्यादि दिए जाने हेतु उपबन्ध करना.–** (1) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को कार्यकारी/द्वितीयक मानक बाट, कार्यकारी/द्वितीयक निर्देश तुला और ऐसे अन्य उपस्कर, जिसके अन्तर्गत तौल व माप के ऐसे यन्त्र भी सम्मिलित हैं, जो समय–समय पर नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किए जाएं, दिए जाएंगे।

(2) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को ऐसी डाइयों, पंच, पेपर सील/स्टीकर और ऐसे अन्य उपस्कर दिए जाएंगे जो सत्यापन मुद्रांकन को चस्पा करने के लिए आवश्यक हों जिनकी डिजाइन और संख्या नियंत्रक द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(3) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को मुद्रांकन को मिटाने के लिए नीचे दर्शित किए गए अनुसार 8 कोण वाले तारे के उपयुक्त आकार वाला पंच दिया जाएगा।

23. **बाटों, मापों इत्यादि के उपयोग से संबंधित उपबंध.**— (1) अपने परिसर में किसी संव्यवहार में डण्डी वाली तराजू (बीम स्केल) का उपयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस तराजू को स्टैण्ड पर या हूक द्वारा चैन पर लटकाएगा।

परंतु यह उप–नियम फेरी लगाकर बेचने वालों पर लागू नहीं होगा।

(2) प्रत्येक बाट या माप साफ सुथरी हालत में और रोशनी की समुचित व्यवस्था में उपयोग किया जाएगा।

(3) किसी ऐसे बाट या माप को, जो यथावत सत्यापित व मुद्रांकित किये गये हैं, नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को पूर्व सूचना दिए बिना उसके मूल स्थान से खोला (उखाड़ा) और हटाया नहीं जाएगा।

(4) तौल यंत्र की यथार्थता का उचित परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ता उपकरण की क्षमता के दसवें भाग के बराबर सम्यक रूप से सत्यापित तथा स्टाम्पित बाटो को प्रत्येक तौल उपकरणों के स्थान में रखेगा तथा उपभोक्ता भी ऐसे तौल उपकरण की यथार्थता की जांच कर सकेंगे।

परंतु नियंत्रक उस व्यापार परिसर में, जहाँ तौल उपकरणों की संख्या एक से अधिक हैं, सत्यापित और मुद्रांकित बाट रखे जाने के लिए उनकी कुल संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(5) पेट्रोल/डीजल पंप की समुचित प्रदायगी को सुनिश्चित करने हेतु पंप का फुटकर डीलर 5 लिटर/10 लिटर का सत्यापित धारिता मापक अपने परिसर में रखेगा और प्रतिदिन इसकी सही प्रदायगी सुनिश्चित करने हेतु पम्प के आउटपुट की जांच करेगा। कम प्रदायगी की स्थिति में, डीलर तुरंत पंप के माध्यम से उसकी प्रदायगी बंद कर देगा और पम्प के पुनः अशांकन हेतु संबंधित विधिक माप विज्ञान अधिकारी को सूचित करेगा।

24. **सत्यापन प्रमाण पत्र का प्रदर्शित किया जाना.**— वह व्यक्ति जिसे सत्यापन प्रमाण पत्र दिया गया है, वह उसे ऐसे उस परिसर में, जहाँ ऐसे बाट, माप या तौल यंत्र अथवा माप उपकरण जिनके संबंध में प्रमाण पत्र, उपयोग में लाए जा रहे हैं, किसी सहज दृश्य स्थान में प्रदर्शित करेगा।

परंतु फेरी लगाकर बेचने वाले की दशा में, प्रमाण पत्र व्यक्ति के पास रहेगा।

परंतु यह और कि टैंकर यान की दशा में, सत्यापन प्रमाण पत्र यान में रहेगा।

25. **नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति.**— जो कोई इन नियमों के किसी ऐसे उपबंध का, जिसके उल्लंघन के लिए किसी दंड का अधिनियम में पृथक से कोई उपबंध नहीं दिया गया है, उल्लंघन करता है वह जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो रूपये 5000.00 तक हो सकेगा। जब कभी नियम अधिनियम के उपबन्धों के विरोध में हो, अधिनियम, नियमों पर प्रभावी होगा।

26. **अपील का प्ररूप.**— (1) अधिनियम और इन नियमों के अधीन प्रत्येक अपील अनुसूची–दस में दिए गए प्ररूप में की जाएगी तथा जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, उसकी एक प्रति साथ में संलग्न होगी।

(2) राज्य शासन को अपील हेतु आवेदन 500 रूपये के शुल्क सहित तथा नियंत्रक को अपील हेतु 200.00 रूपये के शुल्क सहित या तो नगद या उक्त मूल्य के लिए न्यायालयीन शुल्क स्टैम्प लगाकर, जैसी स्थिति हो, किया जाएगा।

27. **अपराधों के राजीनामे हेतु शुल्क.**— (1) अधिनियम के अन्तर्गत कारित अपराधों के राजीनामे के लिए शुल्क अनुसूची–ग्यारह में विहित अनुसार होगा।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी, जिसने अपराध पंजीबद्ध किया है, उस अपराध में राजीनामा नहीं करेगा।

परंतु नियंत्रक कुछ मामलों में उसके द्वारा पंजीबद्ध अपराध के राजीनामे के लिए किसी विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, उप–सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 10 देखिये)

नियम 10 में विनिर्दिष्ट को छोड़कर

1. बाट, माप या संख्या द्वारा वस्तुओं के सम्मुख दर्शाए अनुसार निम्नलिखित वस्तुएं बेची जा सकेंगी।

सारणी

स.क्र.	वस्तु	जंहां पद बाट, माप या संख्या या उनमें से दो या अधिक के रूप में अभिव्यक्त किया जाना है
(1)	(2)	(3)
1.	एरोसोल उत्पाद	बाट
2.	द्रव्य के रूप में अम्ल	बाट या आयतन
3.	सम्पीड़ित या द्रवीकृत गैस (परंतु द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस नहीं)	बाट और समतुल्य आयतन उल्लेखित तापक्रम और दाब पर
4.	मक्खन (मूंगफली के मक्खन सहित) पनीर, दही, घी	बाट
5.	इलेक्ट्रिक केबल्स	लंबाई या बाट
6.	इलेक्ट्रिक वायर	लंबाई या बाट
7.	फेंसिंग तार	लंबाई या बाट
8.	सुगंध रहित केश तैल	बाट या आयतन
9	फल एवं सब्जियां	संख्या या बाट
10.	फर्नेस आइल	बाट या आयतन
11.	लाइनसीड एवं अन्य वेजिटेबल आइल	बाट या आयतन
12.	भारी अवशिष्ट ईंधन तैल	बाट
13.	औद्योगिक डीजल ईंधन	आयतन
14.	शहद, माल्ट सार, स्वर्ण सीरप शीरा	बाट
15.	आइसक्रीम एवं वैसे ही अन्य शीतल उत्पाद	बाट या आयतन
16.	द्रव रसायन	बाट या आयतन
17.	द्रव पेट्रोलियम रसायन	बाट
18.	कील, लकड़ी के पेंच	संख्या या बाट
19.	पेंट (गीला पेंट या सूखा पेंट से भिन्न) वार्निस तथा वार्निस परत इमेमल्स	आयतन
20.	पापड़	संख्या तथा बाट
21.	गीला पेंट, सूखा पेंट	बाट
22.	रसगुल्ला, गुलाब जामुन एवं मिठाइयां	बाट
23.	तैयार वस्त्र	संख्या एवं आकार
24.	हर तरह की चटनी	बाट
25.	टायर एवं ट्यूब	संख्या
26.	धागा	बाट या धागे की लंबाई

अनुसूची–दो "क"
[नियम 11 (1) देखिये]

प्ररुप–एल एम–1

(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाट और माप के निर्माता के रूप में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन का प्ररुप)

प्रति,

....

....

(1)	आवेदक द्वारा भरा जाए (2)	निरीक्षण अधिकारी की टीप (3)
1. संबंधित निर्माण का नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति चाही गई है।	....	....
2. संबंधित का पूर्ण पता। यदि परिसर स्वयं का है/किराये का है/पट्टे पर लिया गया है/मंजूर अनुज्ञप्ति,दस्तावेजों द्वारा सम्यक रूप से समर्थित हो।	....	....
3. कार्यशाला/कारखाना की स्थापना का दिनांक।	....	....
4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) का/के नाम और पता/पते उनके पिता/पति के नाम सहित।	....	....
5. कारखाना/दुकान/स्थापना/नगरपालिक व्यवसाय अनुज्ञप्ति का वर्तमान पंजीयन क्र. तथा दिनांक।	....	....
6. वर्तमान में निर्माण गतिविधि की प्रकृति।	....	....
7. निर्माण हेतु प्रस्तावित बाट एवं माप का प्रकार, जैसे: 1. बाट 2. माप 3. तौल उपकरण 4. माप उपकरण, प्रत्येक मामले में विस्तार सहित।	....	....
8. नियमित व्यक्तियों/प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या. 1. कुशल 2. अर्धकुशल 3. अकुशल 4. कार्य के लिये विशेष प्रशिक्षित	....	....
9. विनिर्मित किए जाने वाले बाट तथा माप में अंकित किये जाने के लिए आशयित मोनोग्राम या ट्रेडमार्क।		....

10. स्वामित्वाधीन मशीनरी, औजार, उप–साधन तथा बाटो, माप आदि जो विनिर्माण के लिए उपयोग में लाये जाते हैं, के ब्यौरे। ....
11. स्थापन/कार्यशाला हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण चाहे स्वयं की स्वामित्व की हो, लंबी अवधि की पट्टे इत्यादि की हो। ....
12. ढलवे लोहे एवं आवश्यक पार्ट्स इत्यादि की सुविधा तथा अन्य संसाधनों की सुविधाएं। ....
13. विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता। ....
14. शासन या वित्तीय संस्थानों से यदि ऋण लिया गया हो तो उसका विवरण। ....
15. बैंकर्स का नाम ,यदि कोई हो। ....
16. वैट/बिक्रीकर पंजीयन क्र./सी एस टी नं./ व्यावसायिक कर पंजीयन क्र./आई टी क्र.। ....
17. क्या आपने पूर्व में निर्माता अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया था ? यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम हुआ ? ....
18. (क) निर्मित किए जाने हेतु प्रस्तावित माल क्या राज्य के भीतर या राज्य के बाहर या दोनों में विक्रय किया जाएगा. ....
(ख) भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदित मॉडल का विवरण; ....
(ग) आप अपने उत्पाद् जिसके लिये अनुज्ञप्ति चाही गई है, के नमूने परीक्षण हेतु कब प्रस्तुत कर सकते हैं ? ....

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मांप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राज्य विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन), नियम 2010 का अध्ययन कर लिया है तथा उसके द्वारा तथां उसके अधीन जारी किए गए या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों तथा निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

मैं/हम अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर शासन द्वारा अनुसूचित अनुज्ञप्ति शुल्क तत्काल जमा करने के लिए तैयार हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है।

स्थान:
दिनांक:

....
हस्ताक्षर एवं पदनाम

राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए

आवेदन प्राप्ति का दिनांक :

आवेदन का स.क्र.

निरीक्षण दिनांक

निरीक्षण अधिकारी की अनुशंसा

स्थान :

दिनांक :

....

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
एवं पदनाम

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का अंतिम आदेश

अनुज्ञप्ति स्वीकृत/अस्वीकृत :

अनुज्ञप्ति क्र.:

विधिमान्यता की तारीख :

स्थान :

दिनांक :

....

हस्ताक्षर तथा पदनाम

अनुसूची–दो क
[नियम 11 (1) देखिये]

प्ररुप एल आर–1

(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाट और माप सुधारक के रूप में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन)

प्रति,

....

....

	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी
1	2	3
1. संबंधित का नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति चाही गई है।	....	....
2. कर्मशाला का पूर्ण पता।	....	....
3. (अ) परिसर स्वयं का है/किराये का है/पट्टे पर लिया गया है/दस्तावेजों द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित हो।	....	....
(ब) स्थापन का दिनांक।	....	....
4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नामों के साथ नाम और पता।	....	....
5. दुकान/स्थापन/वर्तमान नगरपालिक व्यवसाय अनुज्ञप्ति का क्र. तथा दिनांक।	....	....
6. व्यावसायिक कर/आई टी टैक्स पंजीयन क्र. इत्यादि, यदि कोई हो।	....	....
7. सुधार हेतु प्रस्तावित बाट एवं माप के प्रकार।	....	....
8. क्षेत्र जिसमें आप संचालन करना चाहते हो।	....	....
9. क्षेत्र में पूर्व अनुभव।	....	....
10. नियोजित या नियोजित किये जाने हेतु प्रस्तावित कुशल स्टाफ की संख्या।		
(क) कुशल		
(ख) अर्धकुशल		
(ग) अकुशल		
(घ) क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मचारी		
11. मशीनरी/औजारों/उपलब्ध उप–साधनों का विवरण।	....	....

12. विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता।	....	....
13. क्या आपके पास लोन/परीक्षण बाट इत्यादि का पर्याप्त स्टाक है ? ब्यौरा दीजिए।	....	....
14. क्या आपने पूर्व में सुधारक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन था ? यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम हुआ ?	....	....

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राज्य विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2010 का अध्ययन कर लिया है तथा उसके द्वारा तथा उसके अधीन जारी किए गए या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों तथा निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

मैं/हम अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर, शासन द्वारा अनुसूचित, अनुज्ञप्ति शुल्क तत्काल जमा करने के लिए तैयार हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है।

स्थान :

दिनांक :

....

हस्ताक्षर एवं पदनाम

राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए

आवेदन प्राप्ति का दिनांक :

आवेदन का स.क्र.

निरीक्षण दिनांक :

निरीक्षण अधिकारी की अनुशंसा :

स्थान :

दिनांक :

....

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का अंतिम आदेश

अनुज्ञप्ति स्वीकृत/अस्वीकृत :

अनुज्ञप्ति क्र. :

तक विधिमान्य :

....

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर तथा पदनाम

अनुसूची—दो क

[नियम 11 (1) देखिये]

प्ररुप एल डी—1

(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाट और माप विक्रेता के रूप में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन का प्ररुप)

प्रति,

1	आवेदक द्वारा भरा जाए 2	निरीक्षण अधिकारी की टीप 3
1. स्थापन/दुकान/व्यक्ति का नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति चाही गई है।	....	....
2. स्थापन इत्यादि का पूर्ण पता।	....	....
3. स्थापना का दिनांक।	....	....
4. स्वामी तथा/या भागीदार तथा मर्यादित कंपनी की दशा में, प्रबंध निदेशक (निदेशकों) के नाम तथा पता (पते)।	....	....
5. दुकान/स्थापन/नगरपालिक व्यवसाय अनुज्ञप्ति का वर्तमान पंजीयन क्र. तथा दिनांक।	....	....
6. बेचे गए/तथा वर्तमान में बेचे जाने हेतु प्रस्तावित बाटों एवं मापों के प्रवर्ग।		
7. वैट/सीएसटी/विक्रय कर/व्यावसायिक कर/आयकर का पंजीयन क्र.।	....	....
8. क्या आप बाट इत्यादि को राज्य/देश के बाहर के स्थानों से आयात करना चाहते हैं ? यदि हां तो आपूर्ति का स्त्रोत बताएं। (निर्माता का ट्रेडमार्क/मोनोग्राम तथा उसकी अनुज्ञप्ति क. का विवरण दें) तथा— (क) बाट तथा माप आयातक का पंजीयन क्र., यदि कोई हो (ख) केन्द्र सरकार द्वारा भारत में आयातित मॉडल का अनुमोदन उपलब्ध कराएं।		
9. क्या आपने राज्य में या अन्यत्र पूर्व में विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया था ? यदि हां तो उसका विवरण ?	....	....

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राज्य विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2010 का अध्ययन कर लिया है तथा उसके द्वारा तथा उसके अधीन जारी किए गए या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों तथा निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

मैं/हम अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर, शासन द्वारा अनुसूचित अनुज्ञप्ति शुल्क तत्काल जमा करने के लिए तैयार हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है।

स्थान :

दिनांक : ....

हस्ताक्षर एवं पदनाम

राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए

आवेदन प्राप्ति का दिनांक :

आवेदन का स.क्र.

निरीक्षण दिनांक :

निरीक्षण अधिकारी की अनुशंसा

स्थान : ....

दिनांक :

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का अंतिम आदेश

अनुज्ञप्ति स्वीकृत/अस्वीकृत :

अनुज्ञप्ति क्र. :

तक विधिमान्य : ....

स्थान : हस्ताक्षर तथा पदनाम

दिनांक :

अनुसूची– दो ख
[नियम 11 (2) देखिये]

प्ररुप एल एम–2

(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाट और माप निर्माता के रूप में अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन हेतु प्ररुप)

प्रति,

....

	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टीप
1	2	3
1. संबंधित निर्माता का नाम एवं पूर्ण पता जिसकी अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहा गया है।	....	....
2. विनिर्माता अनुज्ञप्ति क्र.।	....	....
3. स्वामी (स्वामियों) तथा/या भागीदार तथा मर्यादित कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशको) के नाम तथा पता (पते) उनके पिता/पति के नाम सहित।	....	....
4. (क) बाट तथा माप का प्रकार जो प्रदत्त अनुज्ञप्ति के अनुसार निर्मित किया गया है।		
(ख) क्या आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं।	....	....
5. आपके द्वारा निर्मित बाट तथा माप पर उपयोग किया जाने वाला मोनोग्राम या ट्रेडमार्क।	....	....
6. कार्यशाला में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।	....	....
7. विगत पांच वर्षों के उत्पादन तथा विक्रय का विवरण।	....	....
8 दुकान,/स्थापन का. पंजीयन क. तथा दिनांक।	....	....
9. वैट/विक्रय कर/सी एस टी/व्यावसायिक कर/आयकर का पंजीयन क्र.।	....	....

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राज्य विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2010 का अध्ययन कर लिया है तथा उसके द्वारा तथा उसके अधीन जारी किए गए या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों तथा निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/है।

मैं/हमने अनुसूचित अनुज्ञप्ति शुल्क रु................(रु. ....)..........................उप कोषालय/बैंक में जमा कर दिया हूँ।/हैं तथा मूल चालान संलग्न है।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है।

स्थान :

दिनांक : ....

हस्ताक्षर एवं पदनाम

अनुसूची–दो ख
[नियम 11 (2) देखिये]

प्ररुप एल आर–2

(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाट और माप सुधारक के रूप में अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन)

प्रति,

....

	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टीप
1	2	3
1. संबंधित सुधारक व्यक्ति का नाम एवं पूर्ण पता जिसने अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहा है।	....	....
2. सुधारक अनुज्ञप्ति क्र.।	....	....
3. स्वामी (स्वामियों) तथा/या भागीदार तथा मर्यादित कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) के नाम तथा पता (पते) उनके पिता/पति के नाम सहित।	....	....
4. वर्तमान दुकान/स्थापन/नगरपालिक व्यवसाय अनुज्ञप्ति का पंजीयन क्र. तथा दिनांक।	....	....
5 वैट/ विक्रय कर/सी एस टी/व्यावसायिक कर/आयकर का पंजीयन क्र.।	....	....
6. (क) प्रदत्त अनुज्ञप्ति के अनुसार सुधार किये गये बाट तथा माप के प्रकार।	....	....
(ख) क्या आप कोई परिवर्तन प्रस्तावित करते हैं।	....	....
7. क्षेत्र, जहां संचालन किया जाना है।	....	....
8. क्या आपके पास उधार/परीक्षण बाटो का पर्याप्त स्टाक है ?	....	....
9. मुद्राकंन के विवरण के साथ ब्यौरे दें।		....

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा (राज्य का नाम) में प्रवृत विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2010 का अध्ययन कर लिया है तथा उसके द्वारा तथा उसके अधीन जारी किए गए या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों तथा निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

मैं/हमने अनुसूचित अनुज्ञप्ति शुल्क रु..............(रु. ....)......................उप कोषालय/बैंक में जमा कर दिया हूँ/हैं तथा मूल चालान संलग्न है।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है।

स्थान :

दिनांक :

....

हस्ताक्षर एवं पदनाम

अनुसूची–दो ख

[नियम 11 (2) देखिये]

प्ररुप एल डी–2

(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाट और माप विक्रेता के रूप में अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन)

प्रति,

	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टीप
1	2	3
1. स्थापन/दुकान/व्यक्ति का नाम जिसने अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहा है।	....	....
2. विक्रेता अनुज्ञप्ति क्र.।	....	....
3. स्थापन का दिनांक।	....	....
4. स्वामी (स्वामियों) तथा/या भागीदार तथा मर्यादित कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) के नाम तथा पता (पते) उनके पिता/पति के नाम सहित।	....	....
5. दुकान/स्थापन/वर्तमान नगरपालिक व्यवसाय अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्ति का पंजीयन क्र. तथा दिनांक।	....	....
6. वर्तमान में बेचे गए बाट एवं माप का प्रवर्ग।		
7. वैट/सी एस टी/विक्रय कर/ व्यावसायिक कर/ आई टी का पंजीयन क्र.।	....	....
8. क्या आप बाट तथा माप इत्यादि को राज्य/देश के बाहर से आयात करना चाहते हैं ? यदि हां तो राज्य (राज्यों)/देश (देशों) से आपूर्ति का स्त्रोत बताएं (निर्माता का ट्रेडमार्क/मोनोग्राम तथा उसकी अनुज्ञप्ति क्र. का विवरण दें)।		

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा (राज्य का नाम) विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2010 का अध्ययन कर लिया है तथा उसके द्वारा तथा उसके अधीन जारी किए गए या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों तथा निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

मैं/हमने अनुसूचित अनुज्ञप्ति शुल्क रु..............(रु. ....)......................उप–कोषालय/बैंक में जमा कर दिया हूं/हैं तथा मूल चालान संलग्न है।

उपर दी गयी समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है।

स्थान :

दिनांक :

....

हस्ताक्षर एवं पदनाम

अनुसूची–तीन

[नियम 11 (3) देखिए]

अनुज्ञप्ति प्रंरुप

प्ररुप एल एम–3

..................शासन

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान

बाटों, मापों, तौल, यां माप के उपकरणों के विनिर्माता के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्र. .... वर्ष ....

1. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, एतदद्वारा ....को (पक्षकार या पक्षकारों के नाम एवं पते) निम्नलिखित (जिसमें बाट, माप, तौल के उपकरण या माप उपकरण सम्मिलित है जिसके पक्षकार द्वारा निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना है) के निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।
2. अनुज्ञप्ति उपरोक्त नामित पक्षकार के लिए उसके .... पर स्थित कार्यशाला के संबंध में विधिमान्य है।
3. यह अनुज्ञप्ति .... से .... तक वैध है।
4. निर्माता नीचे दी गई शर्तो का पालन करेगा। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति निरस्त होने के लिए दायी होगी।
5. निर्माता द्वारा उपयोग किएं जाने वाला ट्रेडमार्क, मोनोग्राम एतद्धीन है।

....

हस्ताक्षर

(मुहर) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

....................शासन

दिनॉक........................

स्थान ....

टीप:–फर्म के मामले में, व्यापार में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम सहित इनके नाम पैरा 1. में दिए जाने चाहिए।

अनुज्ञप्ति की शर्ते

1. व्यक्ति जिसके पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की जाती है–

(क) तत्समय प्रवृत अधिनियम तथा नियम के समस्त सुसंगत उपबंधेां का पालन करेगा ;

(ख) समय–समय पर संशोधित अधिनियम या नियम के उपबन्धों के किसी उल्लंघन को प्रोत्साहित और अभिव्यक्त नहीं करेगा;

(ग) अनुज्ञप्ति को उस परिसर के, जिससे यह संबंधित है, के कुछ सहज दृश्य भाग पर प्रदर्शित करेगा;

(घ) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशेष निर्देशों का पालन करेगा;

(ङ) व्यापार समाप्त करने तथा/या अनुज्ञप्ति के निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति को समर्पित करेगा;

(च) यथास्थिति निर्मित तथा राज्य के भीतर उपयोग हेतु आशयित बाट, माप, तौल या माप उपकरण को विक्रय के पूर्व विधिक माप विज्ञान अधिकारी के सत्यापन तथा मुद्रांकन किए जाने हेतु प्रस्तुत करेगा;

(छ) नियमों की अपेक्षानुसार अनुज्ञप्ति की वैधता की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

2. इस अनुज्ञप्ति के जारी होने के पश्चात विहित प्रत्येक शर्त यदि राजपत्र में अधिसूचित की जाती है, तो उस व्यक्ति पर बंधनकारी होगी, जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

नवीनीकरण प्रविष्टियां

चालू क्र..............................दिनांक................ ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	चालू क्र..............................दिनांक................ ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान
चालू क्र..............................दिनांक................ ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	चालू क्र..............................दिनांक................ ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान

अनुसूची–तीन

[नियम 11 (3) देखिये]

अनुज्ञप्ति प्ररुप

प्ररुप एल आर–3

......................शासन

कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के सुधार के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्र............. वर्ष.................................

1. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, एतदद्वारा..(पक्षकार या पक्षकारों के नाम एवं पते) को निम्नलिखित (बाट, माप, तौल के उपकरण या माप उपकरण के प्रकार का विवरण सम्मिलित है जिसके पक्षकार द्वारा सुधार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना है) के सुधार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करता है।
2. अनुज्ञप्ति उपरोक्त नामित पक्षकार के लिए उसके.. पर स्थित कार्यशाला के संबंध में वैध है।
3. यह अनुज्ञप्ति .... से .... तक विधिमान्य है।
4. सुधारक नीचे दी गई शर्तो का पालन करेगा। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में असफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति निरस्त होने के लिए दायी होगी।
5. पक्षकार को नीचे दर्शाए क्षेत्र में बाट, माप, तौल तथा माप उपकरणों के सुधार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

(हस्ताक्षर)

(मुहर) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

दिनॉक........................ ....

स्थान ....

टीपः–फर्म के मामले में, व्यापार में कोई हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम सहित इसका नाम पैरा (1) में दिया जाना चाहिए।

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. व्यक्ति जिसके पक्ष में यह अनुज्ञप्ति जारी की गई है–

(क) तत्समय प्रवृत अधिनियम तथा नियम के समस्त सुसंगत उपबंधों का पालन करेगा ;

(ख) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन को प्रोत्साहित और अभिव्यक्त नहीं करेगा;

(ग) अनुज्ञप्ति को उस परिसर के जिससे यह संबंधित है, सहज दृश्य भाग पर प्रदर्शित करेगा;

(घ) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशेष निर्देशों का पालन करेगा;

(ङ) व्यापार समाप्त करने तथा/या अनुज्ञप्ति के निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति को समर्पित करेगा;

(च) (एक) बाट, माप, तौल या माप उपकरण, जैसी स्थिति हो, को सम्यक सुधार के लिए उपभोक्ता को देने के पूर्व विधिक माप विज्ञान अधिकारी के समक्ष सत्यापन तथा स्टांपित किए जाने हेतु प्रस्तुत करेगा. जैसा कि नियम 14 (1) में यथा विनिर्दिष्ट है।

(दो) बाट मापों, तौल या माप के उपकरणों को, यदि उनका सत्यापन प्राप्त होने के दिनांक के पूर्व ठीक/मरम्मत किया जाता है और जहां, इस प्रकिया के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिकारी का सत्यापन स्टाम्प मिट जाता है, अलग हो जाता है या टूट जाता है, उसे उपभोक्ता को देने के पूर्व सम्यक रूप से मरम्मत करते हुए पुनः सत्यापन और मुद्रांकन के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(छ) नियमों के अधीन उसकी अपेक्षानुसार अनुज्ञप्ति की वैधता की समाप्ति के नब्बे दिनों के भीतर इस अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

2. इस अनुज्ञप्ति के जारी होने के पश्चात विहित प्रत्येक शर्त, यदि राजपत्र में अधिसूचित होती है, तो उस व्यक्ति पर बंधनकारी होगी, जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

नवीनीकरण प्रविष्टियां

चालू क्र...............................दिनांक.............. ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	चालू क्र...............................दिनांक................ ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान
चालू क्र...............................दिनांक.................. ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	चालू क्र...............................दिनांक.................. ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान

अनुसूची–तीन
[नियम 11 (3) देखिये]

अनुज्ञप्ति प्ररुप

प्ररुप एल डी–3

.......................शासन

कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के विक्रेता के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्र. .... वर्ष..................................

1. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, एतदद्वारा...

....

(पक्षकार या पक्षकारों के नाम एवं पते) को निम्नलिखित (बाट एवं माप, तौल या माप उपकरण के प्रकार का विवरण दर्शित हो जिसके पक्षकार द्वारा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना है) के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करता है।
2. अनुज्ञप्ति उपरोक्त नामित पक्षकार के लिए उसके...
.... पर स्थित परिसर के संबंध में वैध है।
3. यह अनुज्ञप्ति .... से .... तक वैध है।
4. विक्रेता नीचे दी गई शर्तो का पालन करेगा। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में असफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति निरस्त होने के लिए दायी होगी।

(मुहर) (हस्ताक्षर)

नियंत्रक, विधि माप–विज्ञान

दिनॉक.......................

स्थान ....

टीप:—फर्म के मामले में व्यापार में कोई हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम सहित इसका नाम पैरा (1) में दिया जाना चाहिए।

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. व्यक्ति जिसके पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की गई है–
   (क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम तथा नियमों के समस्त सुसंगत उपबंधों का पालन करेगा ;
   (ख) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन को प्रोत्साहित और अभिव्यक्त नहीं करेगा;
   (ग) अनुज्ञप्ति को उस परिसर के जिससे यह संबंधित है, के कुछ सहज दृश्य भाग पर प्रदर्शित करेगा;
   (घ) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशेष निर्देशों का पालन करेगा;
   (ङ) व्यापार समाप्त करने तथा/या अनुज्ञप्ति के निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति को समर्पित करेगा;
   (च) नियम की अपेक्षानुसार अनुज्ञप्ति की वैधता की समाप्ति के नब्बे दिनों के भीतर इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।
   (छ) किसी स्तरहीन बांट या माप के विक्रय के लिए विक्रय या प्रस्ताव, संप्रदर्शन या कब्जा नहीं रखेगा।

2. इस अनुज्ञप्ति के जारी होने के पश्चात विहित प्रत्येक शर्त यदि राजपत्र में अधिसूचित होती है, तो उस व्यक्ति पर बंधनकारी होगी जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

नवीकरण प्रविष्टियां

चालू क्र.............................दिनांक........................ ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	चालू क्र.............................दिनांक........................ ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान
चालू क्र.............................दिनांक........................ ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	चालू क्र.............................दिनांक........................ ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान

अनुसूची–चार

[नियम 11 (4) तथा (5) देखिये]

..........................शासन

कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

बाट तथा माप के निर्माता, सुधारक या विक्रेता हेतु अनुज्ञप्ति तथा नवीकरण शुल्क

1. अनुज्ञप्ति जारी/अनुज्ञप्ति नवीकरण

(एक) विनिर्माता	रु. 500/
(दो) सुधारक	रु. 100/
(तीन) विक्रेता	रु. 100/

अनुसूची—पॉच
[नियम 11 (6) देखिये]

..........................शासन
कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

बाट, माप, तौल/माप उपकरण के अनुज्ञप्त निर्माता/सुधारक/विक्रेता का रजिस्टर

कार्यालय.........................

अनुज्ञप्ति क्र.	जारी/ नवीकरण का दिनांक	निर्माता/ सुधारक/ व्यापारी का नाम एवं पूर्ण पता	स्थान जहां कार्यशाला/ कारखाना स्थित है	निर्मित/ सुधार/ विक्रय की जाने वाली वस्तुएं	उपयोग किए जाने वाला ट्रेडमार्क/ मोनोग्राम	अनुज्ञप्ति निरस्ती करण से संबंधित आदेश	अपील का परिणाम	सक्षम प्रधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

टीपः— कॉलम (4) विक्रेता के लिए लागू नहीं होगा, कॉलम (6) सुधारक तथा विक्रेता के लिए लागू नहीं होगा।

अनुसूची–छः
[नियम 11 (8) देखिये]
..................शासन

कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

अनुज्ञप्ति प्राप्त सुधारक द्वारा जमा की जाने वाली सुरक्षा निधि

बाट तथा माप जिसमें तौल तथा माप उपकरण शामिल हैं, के सुधारक रु. 200.00

अनुसूची–सात
(नियम 13 देखिये)

बाट तथा माप निर्माता द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

1. निर्माता का नाम और पता ....
2. बाट या माप का विवरण ....
3. (एक) निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिं का क्र. ....
   (दो) अनुज्ञप्ति जारी किये जाने का दिनांक ....
   (तीन) अनुज्ञप्ति वैधता की अवधि ....
4. अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहृत करने संबंधित आदेश का विवरण, यदि कोई हो ....

स. क्र.	माह	विगत माह में शेष विक्रय स्टाक	माह में निर्मित मात्रा	कुल 3+4	राज्य के भीतर विक्रय	
					विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या	जावक वाउचर क्र. एवं दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

राज्य के बाहर विक्रय		जावक वाउचर क्र. एवं दिनांक	कुल विक्रय (6+9)	अतिशेष (5–11)	टिप्पणी
राज्य का नाम	विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या				
8.	9.	10	11.	12.	13.

अनुसूची–सात
(नियम 13 देखिये)

प्ररुप एल आर –4

बाटों, मापों के संबंध में सुधारक द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

सुधारक का नाम तथा पता ....
अनुज्ञप्ति क्र. .... अनुज्ञप्ति का दिनांक ....

स. क्र.	दिनांक	उपयोगकर्ता का नाम जिससे प्राप्त हुआ	सुधार हेतु बुक की गयी वस्तुएं तथा उनकी संख्या	उपयोगकर्ता को जारी रसीद क्र. तथा दिनांक
1	2	3	4	5

सुधार प्रभार की राशि	सत्यापन शुल्क की राशि	कुल प्रभारित राशि	उपयोगकर्ता को लौटाने का दिनांक	टिप्पणी
6	7	8	9	10

अनुसूची—सात
(नियम 13 देखिये)

एल डी — 4

बाट तथा माप में विक्रेता द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

1. विक्रेता का नाम और पता ....
2. बाट या माप का विवरण ....
3. (एक) विक्रेता अनुज्ञप्ति क्र. ....
   (दो) अनुज्ञप्ति जारी किये जाने का दिनांक ....
   (तीन) अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि ....
4. अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहरण करने संबंधित आदेश का विवरण, यदि कोई हो ....
5. बाट या माप का प्रवर्ग (वर्ग क या ख)

स. क्र.	माह	विगत माह में शेष स्टाक	माह में राज्य के भीतर क्रय	माह में राज्य के बाहर से क्रय	योग (3+4+5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.

राज्य के भीतर विकय		राज्य के बाहर विकय			कुल बिक्री (7+9)	अतिशेष (6—12)	टिप्पणी
विकीत वस्तुओं की संख्या	जावक वाउचर क्र. तथा दिनांक	विक्रीत वस्तुओं की संख्या	जावक वाउचर क्र. तथा दिनांक	राज्य का नाम			
7	8	9	10	11	12	13	14

अनुसूची–आठ

[नियम 16 (3) देखिए]

.................शासन.

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,

सत्यापन प्रमाण पत्र

विधिक माप विज्ञान अधिकारी का नाम.. क्र. ....

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने आज नीचे दर्शाए बाट, माप इत्यादि को सत्यापित तथा स्टाम्पित/अस्वीकृत कर दिया है।

....से ....स्थान

मात्रा	अभिधान		बाट उपकरण				माप उपकरण	सत्यापन शुल्क रु.	परिवहन, वहन समायोजन व्यय इत्यादि
	बाट	माप	क्षमता	श्रेणी	विनिर्माता	प्रकार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

कुल जमा रु.. चालान रसीद/मनी रसीद क्र. ....दिनांक.......................................

..........................द्वारा सुधार किया गया/उपयोग किया गया

....हस्ताक्षर

अगला सत्यापन का दिनांक.. विधिक माप विज्ञान अधिकारी

टीपः—निरस्त बाट, माप इत्यादि के मामले में, विधिक माप विज्ञान अधिकारी प्रत्येक वस्तु के निरस्तीकरण के लिए निरस्तीकरण का कारण दर्शाते हुए पृथक से प्रमाण पत्र देगा।

अनुसूची—नौ

[नियम 14 (1) देखिए]

बाट तथा माप तथा बाट तथा माप उपकरण को सत्यापित व स्टाम्पित किए जाने हेतु देय शुल्क

1. (क) बुलियन बाट :

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
10 कि.ग्रा.	30.00
5 कि.ग्रा.	20.00
2 कि.ग्रा.	20.00
1 ग्रा.	20.00
500 ग्रा.	15.00
200 ग्रा.	15.00
100 ग्रा.	15.00
50 ग्रा.	15.00
20 ग्रा.	15.00
10 ग्रा.	15.00
5 ग्रा.	15.00
2 ग्रा.	15.00
1 ग्रा.	15.00

(ख) कैरेट बाट

100 ग्रा. (500 के.)	20.00
40 ग्रा. (200 के.)	20.00
20 ग्रा. (100 के.)	20.00
10 ग्रा. (50 के.)	20.00
4 ग्रा. (20 के.)	20.00
2 ग्रा. (10 के.)	20.00
1 ग्रा. (5 के.)	20.00
400 मि.ग्रा. (2 के.)	20.00
200 मि.ग्रा. (1 के.)	20.00
100 मि. ग्रा. (0.5 के.)	20.00
40 मि. ग्रा. (0.02 के.)	20.00
20 मि. ग्रा. (0.01 के.)	20.00
10 मि. ग्रा. (0.05 के.)	20.00
4 मि. ग्रा. (0.02 के.)	20.00
2 मि. ग्रा. (0.01 के.)	20.00
1 मि. ग्रा. (0.005 के.)	20.00

(ग) बेलनाकार बाट

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
10 कि.ग्रा.	20.00
5 कि.ग्रा.	20.00
2 कि.ग्रा.	15.00
1 कि.ग्रा.	10.00
500 ग्रा.	5.00
200 ग्रा.	5.00
100 ग्रा.	5.00
50 ग्रा.	5.00
20 ग्रा.	5.00
10 ग्रा.	5.00
5 ग्रा.	5.00
2 ग्रा.	5.00
1 ग्रा.	5.00

(घ) (बुलियन से भिन्न) शीट मेटल बाट

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
500 मि.ग्रा.	5.00
200 मि.ग्रा.	5.00
100 मि.ग्रा.	5.00
50 मि.ग्रा.	5.00
20 मि.ग्रा.	5.00
10 मि.ग्रा.	5.00
5 मि.ग्रा.	5.00
2 मि.ग्रा.	5.00
1 मि.ग्रा.	5.00

(ड.) लौह षटकोणीय, बेलनाकार बाट तथा समानांतर नलीय बाट

अभियान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
50 कि.ग्रा.	25.00
20 कि ग्रा.	20.00
10 कि ग्रा.	20.00
5 कि ग्रा.	20.00
2 कि ग्रा.	15.00
1 कि ग्रा.	10.00
500 ग्राम	5.00
200 ग्राम	5.00
100 ग्राम	5.00
50 ग्राम	5.00

20 ग्राम	5.00
10 ग्राम	5.00
5 ग्राम	5.00
2 ग्राम	5.00
1 ग्राम	5.00

(च) उच्च क्षमता तौल मशीन की जांच हेतु मानक बाट

अभिधान	अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से संबंधित तत्संबंधी शुल्क 0.5/10000 रु. में	अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से संबंधित तत्संबंधी शुल्क 3.3/10000, 1.7/10000 और 1.0/10000 रु. में
100 कि.ग्रा.	75.00	50.00
200 कि.ग्रा.	150.00	100.00
500 कि.ग्रा.	300.00	200.00
1000 कि.ग्रा.	750.00	500.00
2000 कि.ग्रा.	1500.00	1000.00
5000 कि.ग्रा.	3000.00	2000.00

2. **क्षमता मापक :**

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
100 ली. और अधिक	प्रथम 100 लि. के लिए 50 रु. प्रत्येक अतिरिक्त 100 ली या उसके भाग के लिए 7 रू. अधिकतम 5000 रु. के अध्याधीन
50 लीटर	50.00
20 लीटर	20.00
10 लीटर	20.00
5 लीटर	10.00
2 लीटर	10.00
1 लीटर	10.00
500 मिली	10.00
200 मिली	10.00
100 मिली.	10.00
50 मिली	10.00
20 मिली	10.00
10 मिली	10.00
5 मिली	10.00
2 मिली	10.00
1 मिली	10.00

3. लंबाई मापक :

(क) अपरिवर्तनीय (अनम्य) –

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
2 मी.	10.00
1 मी.	10.00
0.5 मी.	20.00
1 मी. अंशित (प्रत्येक सेमी पर)	20.00
0.5 मी. अंशित (प्रत्येक सेमी पर)	20.00

(ख) फेब्रिक प्लास्टिक/बुना हुआ/स्टील टेप

यथार्थता वर्ग (1)	शुल्क प्रति मी. रु. में (2)
वर्ग –1	1.00
वर्ग –2	0.50
वर्ग –3	0.50

(ग) फोल्डिंग स्केल–

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
1 मी.	10.00
0.5 मी.	10.00

(घ) सर्वेक्षण चैन–

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
30 मी.	100.00
20 मी.	100.00

4. बीम स्केल श्रेणी क तथा ख :

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
200 कि.ग्रा.	400.00
100 कि.ग्रा.	300.00
50 कि.ग्रा.	150.00
20 किग्रा.	150.00
10 कि.ग्रा.	150.00
5 कि.ग्रा.	100.00
2 कि.ग्रा.	100.00
1 कि.ग्रा.	100.00
500 ग्राम और उससे कम	60.00

5. **बीम स्केल श्रेणी ग तथा घ :**

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु). (2)
1000 कि.ग्रा.	200.00
500 कि.ग्रा.	200.00
300 कि.ग्रा.	200.00
200 कि.ग्रा.	100.00
100 कि.ग्रा.	100.00
50 किग्रा.	20.00
20 कि.ग्रा.	20.00
10 कि.ग्रा.	20.00
5 किग्रा	15.00
2 किग्रा	15.00
1 किग्रा	15.00
500 ग्राम और उससे कम	10.00

6. **गैर–स्वचालित तौल उपकरण–यांत्रिकी (समान) वर्ग 3 तथा 4 :**

400 टन	4000.00
300 टन	3000.00
200 टन	3000.00
150 टन	2000.00
100 टन	2000.00
80 टन	2000.00
60 टन	2000.00
50 टन	2000.00
40 टन	2000.00
30 टन	2000.00
25 टन	2000.00
20 टन	2000.00
15 टन	2000.00
10 टन	1000.00
5 टन	500.00
3 टन	400.00
2 टन	400.00
1500 किग्रा	300.00
1000 किग्रा	300.00
500 किग्रा	300.00
300 किग्रा	200.00
250 किग्रा	200.00
200 किग्रा	100.00
150 किग्रा	100.00
100 किग्रा	100.00
50 किग्रा	100.00

30 किग्रा	100.00
25 किग्रा	60.00
20 किग्रा	60.00
15 किग्रा	30.00
10 किग्रा	30.00
5 किग्रा	30.00
3 किग्रा	30.00
2 किग्रा	30.00
1 किग्रा	15.00
500 ग्राम तथा उससे कम	15.00

7. गैर–स्वचालित तौल उपकरण– इलेक्ट्रानिक वर्ग 3 तथा 4 :

400 टन	4000.00
300 टन	3000.00
200 टन	3000.00
150 टन	2000.00
100 टन	2000.00
80 टन	2000.00
60 टन	2000.00
50 टन	2000.00
40 टन	2000.00
30 टन	2000.00
25 टन	2000.00
20 टन	2000.00
15 टन	2000.00
10 टन	1000.00
5 टन	1000.00
3 टन	500.00
2 टन	500.00
1500 किग्रा	250.00
1000 किग्रा	250.00
500 किग्रा	250.00
300 किग्रा	200.00
250 किग्रा	200.00
200 किग्रा	200.00
150 किग्रा	200.00
100 किग्रा	200.00
50 किग्रा	200.00
30 किग्रा	200.00
25 किग्रा	200.00
20 किग्रा	100.00
15 किग्रा	100.00
10 किग्रा	100.00

5 किग्रा	100.00
3 किग्रा	100.00
2 किग्रा	100.00
1 किग्रा	100.00
500 ग्राम और उससे कम	100.00

8. गैर–स्वचालित तौल उपकरण मशीनरी तथा इलेक्ट्रानिक दोनों वर्ग 1 तथा 2 :

क्षमता	शुल्क (रु.)
50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 किग्रा से अधिक	500.00
50 किग्रा से अनधिक किन्तु 10 किग्रा से अधिक	250.00
10 किग्रा से अनधिक	200.00

8. स्वचालित तौल उपकरण :

क्षमता	शुल्क (रु.)
100 टन से अधिक	4000.00
100 टन से अनधिक किन्तु 50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 किग्रा से अधिक	500.00
50 किग्रा से अनधिक किन्तु 10 किग्रा से अधिक	250.00
10 किग्रा से अनधिक	200.00

9. आयतन मापक उपकरण :

(क) डिस्पेंसिंग पम्प, प्रति पम्प : रु. 1000.00 प्रति इकाई

(ख) जोड (टोटलाईज़िंग) काउंटर : रु. 500.00 प्रति इकाई

(ग) अन्य उपकरण :

क्षमता	शुल्क (रु.) में
100 ली. से अधिक	प्रथम 100 ली के लिए 500रु.+प्रत्येक अतिरिक्त 100 ली या उसके भाग के लिए 250 रु.
100 ली. से अनधिक किन्तु 50 ली. से अधिक	500.00
50 ली. से अनधिक किन्तु 20 ली. से अधिक	250.00
20 ली. से अनधिक	200.00

10. फ्लोमीटर :

100 ली./मिनट तक फ्लो रेट — 2000.00 रु.

100 ली./मिनट से अधिक 500 ली./मिनट तक — 3000.00 रु.

500 ली./मिनट से अधिक — 5000.00 रु.

11. **रेखीय मापक उपकरण :**

टैक्सी, आटोरिक्शा मीटर	100.00 रु.
अन्य मीटर	प्रथम 1000 मी. या उसके भाग के लिए 50.00 रु + प्रत्येक अतिरिक्त 100 मी. या उसके भाग के लिए 5.00 रु.

12. चिकित्सकीय तापमापी (थर्मामीटर) रु. 0.50 प्रति इकाई

13. जलमापी रु. 25.00 प्रति इकाई

14. पेग मापक :

30 मिली.	50.00
60 मिली.	50.00
100 मिली.	50.00

15. सी.एन.जी. डिस्पेंसर : रु. 1000.00 प्रति इकाई

16. एल.पी.जी. डिस्पेंसर : रु. 1000.00 प्रति इकाई

अनुसूची—दस
[नियम 26 (1) देखिये]

विधिक माप विज्ञान अधिकारी/नियंत्रक विधिक माप विज्ञान के आदेश के विरुद्ध अपील का प्ररूप

1. अपीलार्थी का नाम एवं पता।
2. विधिक माप विज्ञान अधिकारी/नियंत्रक विधिक माप विज्ञान का आदेश क्र. व दिनांक जिसके विरुद्ध अपील किया जाना है।
3. अपीलार्थी स्वयं सुनवाई चाहता है अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा।
4. अपील का आधार।

अनुसूची–ग्यारह
(नियम 27 देखिए)

विभिन्न अपराधों के लिए राजीनामा शुल्क

स. क्र.	धारा तथा अपराध की प्रकृति	दण्ड धारा	राजीनामा शुल्क
1.	धारा 8 (3) मानक बाट, माप या संख्या से भिन्न बाट, माप या संख्या का उपयोग	25	रूपए 2500.00
2.	धारा 8 (4) बाट या माप का निर्माण जो मानकों के अनुरुप ना हो	27	रूपए 2000.00
3.	धारा 10 बाट, माप या संख्या द्वारा माल इत्यादि के संबंध में संव्यवहार या व्यापार या संविदा से विहित	28	रूपए 1000.00
4.	धारा 11 मूल्य सूची उत्कथन या घोषणा या जारी या प्रदर्शन बाट या माप या संख्या की मानक इकाई के अनुसार मूल्य में परिवर्तन	29	रूपए 1000.00
5.	धारा 12 किसी उपकरण या वस्तु का संविदा या करार द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक या कम सेवा में मांग करना या प्राप्त करना	30	रूपए 1000.00
6.	धारा 17 निर्माता, विक्रेता या सुधारक द्वारा अभिलेखों, रजिस्टरों का संधारण तथा मांगे जाने पर बाट, माप दस्तावेज, रजिस्टर को प्रस्तुत करना	31	रूपए 500.00
7.	धारा 18 (1) निर्माता/व्यापारी द्वारा पूर्व से पैक वस्तु के संबंध में घोषणा का पालन	36(1)	रूपए 2500.00
8.	धारा 18 (1) निर्माता द्वारा पूर्व से पैक वस्तु की मांग–शुद्ध मात्रा का पालन	36(2)	रूपए 10000.00
9.	धारा 23 बाट या माप का निर्माण केवल अनुज्ञप्ति के द्वारा	45	रूपए 5000.00
10.	धारा 23 बाट या माप का सुधार/विक्रय केवल अनुज्ञप्ति द्वारा	46	रूपए 2000.00
11.	धारा 24 संव्यवहार या संरक्षण में सत्यापित बाट, माप का उपयोग	33	रूपए 5000.00
12.	धारा 33 बाट या माप का विक्रय बिना सत्यापन के	33	रूपए 2000.00
13.	धारा 34 स्तरहीन बाटों और मापों के द्वारा वस्तुओं का विक्रय या पूर्ति	34	रूपए 2500.00
14.	धारा 35 स्तरहीन बाटों या मापों के द्वारा सेवा देना	35	रूपए 2500.00
15.	धारा 47 अनुज्ञप्ति में अनाधिकृत परिवर्तन करना	47	रूपए 5000.00
16.	धारा 53 (3) अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित किसीनियम के उपबन्ध	53 (3)	रूपए 500.00

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 10–122/खाद्य/2010/29.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05 जनवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, उप–सचिव.

Raipur, the 5th January 2011

NOTIFICATION

No. F 10-122/Food/2010/29.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Legal Metrology Act, 2009, after consultation with the Government of India, the State Government hereby makes the following rules, namely;-

RULES

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Chhattisgarh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011.
   (2) They extend to the whole of *Chhattisgarh.*
   (3) They shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of these rules.

2. **Definitions.**– In these rules, unless the context otherwise requires -
   (a) "Act" means the Legal Metrology Act, 2009.
   (b) "Reference Standards Laboratory" means a laboratory set up by the Central Government under the Act, where Reference Standards, Secondary Standards and Working Standards are maintained:
   (c) "Schedule" means a schedule appended to these rules:
   (d) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Reference Standards.**– The Reference Standards shall be kept at such place, in such manner and in such custody as prescribed under the Legal Metrology (National Standards) Rules, 2011.

4. **Secondary Standards.**– (1) Every secondary Standards shall be verified at any of the Reference Standards Laboratories, in such manner and at such periodical intervals as may be prescribed under the rules and shall, if found on such verification to conform to the Standards established by or under that Act, be stamped by Reference Standard Laboratory or a certificate of verification will be issued by that laboratory.
   (2) The Secondary Standards shall be kept at such place, and in such custody as the controller may direct.

5. **Working Standards.**– (1) Every Working Standard shall be verified either at any of the Reference Standards laboratories or at any of the Secondary Standards Laboratories maintained by the State Government, in such manner and at such periodical intervals as may be prescribed under the rules and shall, if found on such verification to conform to the Standards established by or under the Act, be stamped or certificate of verification will be issued by that laboratory as the case may be.
   (2) The Working Standards shall be kept in the custody of legal metrology officer.

6. **Secondary Standard balances.**– (1) A set of Secondary standard balances shall be maintained at every place where Secondary Standard Weights are kept.
   (2) The number, types and specifications of such balances shall be such as may be prescribed under the Legal Metrology (General) Rules, 2011.
   (3) Every Secondary Standard balance shall be verified at least once within a period of twelve months and shall be adjusted, if necessary, to make it correct within the limits of sensitivity and other metrological qualities prescribed under the Act, by the Reference Standards Laboratory or by the Controller or such other officer as may be authorized by the Controller in this behalf.

7. **Working Standard Balances.**– (1) A set of Working Standard balances shall be maintained at every place where Working Standard Weights are kept.

(2) The number, types and specifications of such balances shall be such as may be prescribed under the Legal Metrology (General) Rules, 2011.

(3) Every Secondary Standard balance shall be verified at least once within a period of twelve months and shall be adjusted, if necessary, to make it correct within the limits of sensitivity and other metrological qualities prescribed under the Legal Metrology (General) Rules, 2011, by the Reference Standard Laboratory or at any of the place where Secondary Standards are maintained by the State Government.

8. **Physical characteristics, configuration, constructional details of Weights and Measures.–** Every Weight or measure used or intended to be used in any transaction or for protection shall conform as regards physical characteristic, configuration, constructional details, materials, performance, tolerances and such other details, to the specifications prescribed under the Act or the Legal Metrology (General) Rules, 2011.

9. **Use of Bullion Weights, Carat Weights etc.–** (1) No Weight other than a Bullion Weight as specified in general rule 2011 shall be used in any transaction or protection in bullion including precious metals, pearls, ornaments or other articles made of gold or silver.

(2) No weight other than a carat weight shall be used in any transaction or protection in precious stones.

(3) Only beam scale of class A or class B category or a non automatic weighing instrument of high accuracy class (class II) or special accuracy class (class I) shall be used in any transaction referred to in sub-rules (1) and (2).

10. **Use of weights only or measures only or number only in certain cases.–** Except in the cases of commodities specified in Schedule I, the declaration of quantity in every transaction, dealing or contract, or for protection shall be terms of the unit of -

(a) weight, if the commodity is solid, semi-solid, viscous or a mixture of solid and liquid ;
(b) length, if the commodity is sold by linear measure;
(c) area, if the commodity is sold by area measure;
(d) volume, if the commodity is liquid or is sold by cubic measure; or
(e) number, if the commodity is sold by number.

11. **Licencing of manufacturer, repairer and dealer of Weights and Measures.–**(1) Every manufacturer or repairer of, or dealer in, weight or measure shall make an application for the issue of a licence to the Controller legal metrology or such other officer as may be authorized by him in this behalf, in the appropriate form set out in Schedule II-A.

(2) Every manufacturer or repairer of, or dealer in weight or measure shall make an application for the renewal of a licence within thirty days before the expiry of validity of the licence to the Controller legal metrology or such other officer as may be authorized by him in this behalf, in the appropriate form set out in Schedule II-B.

(3) Every licence issued to a manufacturer, repairer or dealer shall be in the appropriate form set out in Schedule III.

(4) Every licence issued to a manufacturer, repairer, or dealer shall be valid for a minimum period of one calendar year and may be renewed for a period of two years ,by the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf on payment of per year fee as specified in the Schedule IV.

(5) The fee payable for the alteration of a licence or for the issue of a duplicate licence shall be one half of the licence fee as specified in Schedule IV.

Provided that an additional fee at full the rates specified in Schedule IV shall be payable by the applicant if he is permitted by the Controller to make an application for the renewal of a licence within a period of three months from the date of expiry of the licence.

(6) The Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf shall maintain a register of licenced manufacturers, dealers and repairers in the form set out in Schedule V.

(7) Every manufacturer / repairer / dealer licenced under the Act and these rules shall maintain such workshop / equipments / tools/ registers etc. as the case may be, as per the terms and conditions of the licence.

(8). Every repairer licenced under the Act and these rules shall furnish a security deposit for each licence to the State Government as specified in schedule Schedule VI.

(9) Every licence issued or renewed under this Act shall be displayed in a conspicuous place in the premises where the licencee carries on business.

(10). A licence issued or renewed under this Act shall not be salable nor transferable.

12. **Suspension and cancellation of licence granted.-**

(1) The Controller or such other officer authorized by him on behalf may, if he has any reasonable cause to believe that the holder of any licence issued, renewed or continued under this Act has made any statement in, or in relation to, any application for the issue, renewal or continuance of the licence, which is incorrect or false in any material particular or has contravened any provision of the Act or any rule or order made there under, suspend such licence, pending the completion of any inquiry against the holder of such licence:

Provided that no such licence shall be suspended unless the holder thereof has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action:

Provided further that where the inquiry referred to in this sub-section is not completed within a period of three months from the date of suspension of a licence, such suspension shall, on the expiry of the period aforesaid, stand vacated.

(2) The Controller such other officer authorized by him on behalf may, if he is satisfied, after making such inquiry as he may think fit, that the holder of a licence has made a false or incorrect statement of the nature referred to in sub-rule (1), or has contravened any law or order referred to in that sub-section, cancel such licence:

Provided that no such licence shall be cancelled unless the holder thereof has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.

(3) Every person whose licence has been suspended shall, immediately after such suspension, stop functioning as such licencee and shall not resume business as such licencee until the order of such suspension has been, or stands, vacated.

(4) Every licencee whose licence has been suspended or cancelled shall, after such suspension or cancellation, as the case may be, surrender such licence to the authority by which such licence was issued.

(5) Every licencee whose licence has been cancelled shall, within a period of thirty days from the date of such cancellation, or within such further period, not exceeding three months from such date, as the Controller or such other officer authorized by him on behalf may, on sufficient cause being shown, allow, dispose of the weights or measures which were in his possession, custody or control on the date of such cancellation and in the event of his failure to do so, the Controller or any other officer authorized by him, in writing, in this behalf, may seize and dispose of the same and distribute the proceeds thereof in such manner as may be prescribed.

13. **Records to be maintained by manufacturers, etc.-** Every manufacturer or repairer of, or dealer in weight or measure licenced under the Act and these rules shall maintain records and registers in the appropriate form set out in Schedule VII and also submit such periodical report / returns as may be specified.

14. **Periodical interval for the verification of weights or measures.-** Periodical interval for the verification of weights or measures as has been specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011.

15. **Verification and inspection of weights or measures.–**

(1) Every person using any weight or measure in any transaction or for protection shall present such weight or measure for verification / re-verification, at the office of the Legal Metrology Officer or at such other place as the Legal Metrology Officer may specify in this behalf on or before the date on which the verification falls due:

Provided that where any weight or measure is such that it cannot, or should not be moved from its location, the person using such weight or measure shall report to the Legal Metrology Officer at least thirty days in advance of the date on which the verification falls due.

(2) Where any weight or measure is such that it cannot, or should not, be moved from it's location, Legal Metrology Officer shall take necessary steps for the verification of such weight or measure at the place of its location.

(3) For the verification of weight or measure referred to in sub-rule (2) the user shall provide such facilities as may be specified by the Controller.

(4) Every weight or measure presented for verification shall be complete in itself.

(5) Every weight or measure shall be verified in a clean condition, and if necessary, the Legal Metrology Officer shall require the owner or user to make necessary arrangement for the purpose.

(6) A Legal Metrology Officer may visit, as frequently as possible during the period specified in rule, every premise within the local limits of his jurisdiction to inspect and test any weight or measure which is being or is intended or likely to be used in any transaction or for protection.

(7) The legal metrology officer shall obliterate the stamp on any weight or measure, if it is found during inspection that:-

(a) Any weight or measure which being due for re-verification has not been submitted for such re-verification.

(b) Any weight or measure which does not conform to the Standards established by or under the Act.

Provided that where the legal metrology officer is of opinion that the defect or error in such weight or measure is not such as to require immediate obliteration of the stamp, he shall inform the user, of the defect or error found in the weight or measure and call upon user to remove the defect or error within such time, not exceeding eight days and shall-

(i) if user fails to remove the defect or error within that period, obliterate the stamp, or

(ii) if the defect or error is so removed as to make the weight or measure conform to the standards established by or under the Act, verify and stamp such weight or measure.

Explanation: The obliteration of the stamp on any weight or measure shall not take, away or abridge the power of the legal metrology officer to seize such weight or measure in accordance with the Provisions of the Act.

16. **Stamping of weights or measures.**– (1) The Legal Metrology Officer shall stamp every weight or measure, if after testing and verification, he is satisfied that such weight or measure conforms to the standards established by or under the Act, with a stamp of uniform design, issued by the Controller, which shall indicate the number allotted for administrative purpose to the Legal Metrology Officer by whom it is stamped.

Provided that if by reason of the size or nature of any weight or measure it is not desirable or practicable to put a stamp thereon, the Legal Metrology Officer shall take such action as may be directed by the controller by a general or a special order in writing.

(2) The Legal Metrology Officer shall also mark the year and its quarter of stamping on every verified weight or measure except when the size or nature of such weight or measure makes it impracticable.

Explanation – A year shall be deemed to consist of four quarters of which first quarter shall be of the months of January, February and March which shall be marked as A; second quarter shall be of the months of April, May and June which shall be marked as B, third quarter shall be of the months of July, August and September which shall be marked as C and fourth quarter shall be of the months of October, November and December which shall be marked as D.

(3) On completion of verification and stamping the Legal Metrology Officer shall issue a certificate of verification in the form set out in Schedule VIII.

(4) Where a certificate of verification is lost or destroyed, the holder of the certificate of verification shall forthwith apply to the Legal Metrology Officer who had issued the certificate, for the issue of a duplicate certificate, of verification. Every such application for the issue of a duplicate certificate shall be accompanied by a fee of rupees ten.

(5) On receipt of an application under sub-rule (4), the Legal Metrology Officer shall issue to the applicant a duplicate copy of the certificate of verification marked 'DUPLICATE'.

17. **Fee for verification.-** (1) Fees payable for verification and stamping of weight or measure at the office or camp office of the Legal Metrology Officer shall be as specified in Schedule IX.

(2) If, at the request of the user of weight or measure, verification is done at any premises other than the office or camp office of the Legal Metrology Officer, an additional fee shall be charged at half the rate specified in the Schedule IX and the user of the weight or measure shall pay the expenses incurred by the Legal Metrology Officer for visiting the premises including the cost of transporting and handling the Working Standard and other equipment subject to a minimum of rupees one hundred.

Provided that no additional fee shall be charged for verification and stamping of weights and measures in situ of,-

(i) vehicle tanks for petroleum products and other liquids, Meter for Liquids Other than Water (Fuel Dispenser, Liquid Petroleum Gas, Milk Dispensers), Compressed Natural Gas Dispensers, Non-automatic Weighing Instruments like weighbridges, platform machines, crane scale, Automatic Gravimetric Filling Instruments, Automatic Rail-weighbridge, Discontinuous Totalizing Automatic Weighing Instruments, and such other weight or measure which cannot, and should not be moved from its location;

(ii) Weight or measure in the premises of manufacturer or dealer of such weight or measure.

(3) If a weight or measure is presented to the Legal Metrology Officer for re-verification after expiry of the validity of the stamp, an additional fee at half the rates specified in Schedule IX shall be payable for every quarter of the year or part thereof.

(4) Full fee shall be payable for re-stamping any weight or measure held in stock with manufacturer or dealer within the period specified, in rule 14 from the date on which it was last stamped, provided that the original stamp was not obliterated

(5) A weight or measure which on verification/inspection is found to be incorrect shall be returned to the person concerned for adjustment informing him, in a proforma specified by the Controller, of the defects found in the weight or measure, and calling upon him to remove the defects within a period not exceeding seven days. When the necessary adjustment has been carried out, such weight or measure shall be verified on payment of the fees specified in schedule IX and if found correct shall be stamped.

18. **Collection of fees and deposit into the Treasury.-** (1) Before commencing the work of verification or re-verification, the Legal Metrology Officer shall inform the person concerned of the fees payable by him and shall receive the same in the manner as authorized by the controller and issue a receipt on the form approved by the Controller, one copy of such receipt being kept on record.

Provided that fees payable by a department of the Central or State Government under these rules may be realized in such manner as may be directed by the Controller.

(2) The Legal Metrology Officer shall maintain a register, in the form approved by the Controller, which shall be written up from day-to-day and shall show the amount of fees and other charges collected during the day.

(3) All payment received by the Legal Metrology Officer during the week shall be paid into the Government Treasury under the appropriate "Head of Account" on such dates or days as may be specified by the Controller from time to time, and a receipt thereof be obtained and an intimation to that effect be sent to the Controller or other officer authorized by him in this behalf.

19. **Disposal of seized weights, measures, etc.-**(1) any un-verified weight or measure shall be returned to the person from whom such weight or measure was seized if that person gets the same verified and stamped, within fifteen days of the return, on payment of the prescribed fee including the additional fee payable for undertaking re-verification after the expiry of the validity of the stamp.

(2) Any weight or measure or document or thing or goods seized and detained under sections 15 of the Act, which is to be the subject of proceedings in a court shall be produced by the legal metrology officer before the court shall after conclusion of the proceedings, be taken possession of by the legal metrology officer and dealt with in accordance with the orders of the court:

Provided that in the absence of the orders of the court, weight or measure or document or thing or goods shall be deal with as the controller may be special order direct and the material thereof shall be sold and the proceeds credited to the Government.

(3) If any goods, seized under sections 15 of the Act. are subject to speedy or natural decay, the legal metrology officer shall have the goods weighed or measured on a verified weighting or measuring instrument available with him or nearest the place of offense and enter the actual weight or measure of the goods in a form specified by the controller for this purposes, and shall obtain the signature of the trader or his agent or such other person who has committed the offence. The goods in question shall be returned to the trader or the purchaser as the case may be:

Provided that if the trader or his agent or the other person (who has committed the offence) refuses to sign the form, the legal metrology officer shall obtain the signature of not less than two persons present at the time of such refusal by the trader or his agent or other person. in the case of goods returned to the traders he shall give an undertaking that he shall not sell the defective goods without rectifying the defects thereon.

(4) Where the goods seized under sub-section (1) of Section 15 of the Act are contained in a package and the package is false or does not conform to the provisions of the Act or any rules made there under and the goods In such package are subject to speedy or natural decay, the legal metrology officer so far as may be, may dispose of the goods in such package in accordance with the provisions of sub-rule (3).

Provided that the controller shall be the final authority to decide whether the goods seized and detained are subject to speedy or natural decay.

(5) Where the goods seized under sub-section (1) of Section 15 of the Act are not subject to speedy or natural decay, the legal metrology officer may retain the package for the purpose of prosecution under this Act after giving the trader or his agent or the other person (who has committed the offence) a notice of such seizure.

(6) The goods referred under sub-rule (4) &(5) which are not to be the subject of proceedings in a court, shall after the expiry of sixty days of its seizure, be so dealt with as the Controller may by special order direct.

20. **Validity of weights or Measures duly stamped.-** (1) A weight or measure which is, or is deemed to be, duly verified and stamped under this Rule shall be deemed to conform to the standards established by or under the Act at every place within the State in which it is stamped unless it is found on inspection or verification that such weight or measure has ceased to conform to the standards established by or under the Act.

(2) No weight or measure which is, or is deemed to be, duly verified and stamped under this Act shall require to be re-stamped merely by reason of the fact that it is being used at any place within the State other than the place at which it was originally verified and stamped:

Provided that where a verified weight or measure, installed at one place is dismantled and re-installed at a different place, such weight or measure shall not be put into use unless it has been duly re-verified and stamped, notwithstanding that periodical re-verification of such weight or measure has not become due.

(3) Where a verified weight or measure has been repaired, whether by a licenced repaired or by the person owning and possessing the same, such weight or measure shall not be put into use unless it has been duly re-verified and stamped, notwithstanding that periodical re-verification of such weight or measure has not become due.

21. **Qualification of Legal Metrology Officer.-** Qualification of Legal Metrology Officer as has been defined in the Legal Metrology (General) Rules, 2011.

22. **Provision of supply of Working/Secondary Standards, equipment, etc. to the Legal Metrology Officer.-** (1) Every Legal Metrology Officer shall be provided with Working/

Secondary Standards weights, Working/Secondary Standard balances, and such other equipment includes weighing and measuring devices as may be approved by the Controller from time to time.

(2) Every Legal Metrology Officer shall be provided with such dies, punches, *paper seal / sticker* and such other equipment as may be necessary for affixing the verification stamp, the design and number of which are to be approved by the Controller.

(3) Every Legal Metrology Officer shall be provided with punches of suitable sizes of eight-pointed star as shown below for obliterating stamps.

23. **Provisions relating to use of weights measure, etc.** – (1) Every person using a beam scale in any transactions in his premises shall suspend the same to a stand or to a chain by a hook:

Provided that this sub-rule shall not apply to itinerant vendors.

(2) Every weight or measure shall be used in a clean condition and in proper lighting arrangement

(3) Any weight or measure, which has been verified and stamped in situ, shall not be dismantled and removed from its original site without prior intimation to the Controller or other person authorized by him in this behalf.

(4) To ensure a proper check of the accuracy of a weighing instrument the user shall keep at the site of each weighing instrument duly verified and stamped weights equal to *one-tenth* of the capacity of the instrument one tonne and consumer can also check the accuracy of the weighing instrument.

Provided that the Controller may specify the total number of verified and stamped weights to be maintained in trade premises where the number of weighing instruments are more than one.

(5) To ensure proper delivery of the petrol / diesel pumps, the retail dealer of the pump shall keep a verified 5 litre/10litre capacity measure in his premises and check the out put from the pump every day to ensure its correct delivery. In case of any short delivery the dealer shall stop the delivery through the pump immediately and inform the legal metrology officer concerned to recalibrate the pump.

24. **Certificate of verification to be exhibited.**– The person to whom a certificate of verification is issued shall exhibit the same in a conspicuous place in the premises where the weights, measures or weighting or measuring instruments to which the certificate relates are used:

Provided that in the case of itinerant vendor, the certificate shall be kept with the person:

Provided further that in the case of vehicle tank, the certificate of verification shall be kept with the vehicle.

25. **Penalty for contravention of rules.**– Whoever contravenes any provision of these rules, for the contravention of which no punishment has been separately provided in the Act, shall be punished with fine, which may extend to five thousand rupees. Whenever rules are in conflict with the provisions of the Act, the Act will prevail the rules.

26. **Form of appeal.**- (1) Every appeal under the Act and these rules shall be preferred in the form set out in schedule X, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against.

(2) An application for appeal to State Government shall be accompanied by fee of Rs. 500 and for appeal to Controller shall be accompanied by fee of Rs. 200 paid either by cash or by affixing court fee stamp for the said value as the case may be.

27. **Fee for compounding of offences.**- (1)The fee for compounding of offences committed under the Act shall be as prescribed in Schedule XI.

(2) Legal Metrology Officer who has registered the offence shall not compound that offence:

Provided that The controller may authorize any legal metrology officer for compounding the offence registered by him in certain cases.

By order and in the name of the Covernor of Chhattisgarh,
DILIP WASNIKAR, Deputy Secretary.

SCHEDULE – I
(See Rule 10)

Exceptions referred to in Rule 10

1- The following commodities may be sold by weight, measure or number as show against the commodity.

TABLE

Sr. No.	Commodity	Whether declaration to be expressed in terms of weight, measure or number or two or more of them.
(1)	(2)	(3)
1-	Aerosol products	weight
2-	Acids in liquid form	weight or Volume
3-	Compressed or liquefied gas (but not liquefied petroleum gas	weight and equivalent volume at stated temperature and pressure
4-	Butter (incl. peanut butter), cheese, curd, ghee	weight
5-	Electric cables	length or weight
6-	Electric wire	length or weight
7-	Fencing wire	length or weight
8-	Hair oil, un perfumed	weight or volume
9-	Fruits and vegetables	number or weight
10-	Furnace oil	weight or volume
11-	Linseed oil and other vegetable oils	weight or volume
12-	Heavy residual fuel oil	weight
13-	Industrial diesel fuel	volume
14-	Honey, malt extract, golden syrup treacle.	weight
15-	Ice cream and other similar frozen products	weight or volume
16-	Liquid chemicals	weight or volume
17-	Liquid petroleum gas	weight
18-	Nails, wood screws	number or weight
19-	Paint (other than paste paints or solid paint), varnish and varnish stairs, enamels	volume
20-	Papad	number and weight
21-	Paste paint, solid paint	weight
22-	Ressogulla, Gulabjamun and other sweet preparations	weight
23-	Ready made garments	number and size
24-	Sauce, all kinds	weight
25-	Tyres and tubes	number
26-	Yarn	Weight or length of yarn

SCHEDULE – II "A"

[See rule 11 (1)]

Form – LM – 1

[Application form for licence as manufacturer of weights & measures under the Legal Metrology Act, 2009]

To,

(1)		To be filled by the Applicant (2)	Comments of the inspection officer (3)
1.	Name of the manufacturing concern for which licence is desired.	....	....
2.	Complete address of the concern. Whether premises are owned/rented/taken on lease/leave licence, duly supported by documents.	....	....
3.	Date of Establishment of workshop/factory.	....	....
4.	Name (s) and address (s) along with their father's/ husband's name of proprietor (s) and/or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company	....	....
5.	The date and current registration number of factory/ shop/ establishment/ Municipal Trade licence.	....	....
6.	Nature of manufacturing activities at present.	....	....
7.	The type of weights and measures proposed to be manufactured viz : (i) Weights (ii) Measures (iii) Weighing Instruments (iv) Measuring Instruments with details in each case.	....	....
8.	The number of persons employed/proposed to be employed (i) Skilled (ii) Semi-skilled (iii) Unskilled (iv) Specialist trained in the line	....	....

9. The monogram or trade mark intended to be Imprinted on weights and measures to be manufactured.. ....

10. Details of machinery, tools accessories, owned and used for manufacturing weights measures etc. ....

11. Details of foundry/workshop facilities arranged. Whether ownership, long term lease etc. ....

12. Facilities of steel casting and hardness testing of Vital parts etc or other means. ....

13. Availability of electric energy. ....

14. Details of loan received from Government or financial Institution. If so, give details. ....

15. Name of bankers, if any. ....

16. VAT/ Sales Tax Registration Number/CST Number/ Professional Tax registration Number/IT Number. ....

17. Have you applied previously for a manufacturer's licence? If so, when and with what results ? ....

18. (a) Whether the item (s) proposed to be manufactured will be sold within the State or out side the state or both. ....
    (b) Details of Model Approval received from Government of India;
    (c) When can you produce for inspection samples of your products for which licence is desired ?

To be certified by the applicant (s)

Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the name of the state Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2010 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I/We agree to deposit the Scheduled licence fees with Government as soon as required to do so by the Licencing Authority.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place :

Date :

....

Signature and Designation

To be filled in by Departmental Officer of the State Government

Date of Receipt of Application :
Serial Number of application :
Date of inspection :
Recommendation of Inspecting Officer :

Place : ....
Date : Signature and Designation of Inspecting Officer

Final orders of Licensing Authority

Licence granted / refused :
Licence Number :
Valid till :

Place : ....
Date : Signature and Designation

SCHEDULE – IIA
[See rule 11 (1)]

Form LR – 1

[Application for licence as repairers of Weights & Measures under the Legal Metrology Act, 2009]

To,

1	To be filled by the applicants 2	Comments of the inspecting officer 3
1. Name of the concern seeking the licence.	....	
2. Complete address of the workshop.	....	
3. (a) Whether premises are owned/rented/taken on lease dully supported by documents. (b) Date of establishment.	....	
4. Name (s) and address (s) along with their father's/ husband's name of proprietor (s) and/or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.	....	
5. Number and date of shop/establishment/current Municipal Trade Licence.	....	
6. Professional Tax/IT Tax registration Number etc if any.	....	
7. The type of weights and measures proposed to repaired.	....	
8. Area in which you wish to operate.	....	
9. Previous experience in the line.	....	
10. Number of skilled staff employed or proposed to be employed: (i) Skilled (ii) Semi-skilled (iii) Unskilled (iv) Employees trained in the line	....	
11. Details of machinery/tools/accessories available.	....	
12. Availability of electric energy.	....	
13. Have you sufficient stock of loan/test weights. etc.? Give details.	....	
14. Have you applied previously for a repairer's licence? If so, When and with what results?	....	

To be certified by the applicant(s)

Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the –name of state Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2010 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I/We agree to deposit the Scheduled licence fees with Government as soon as required to do so by the Licensing Authority.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place : ....

Date : Signature and Designation

To be filled in by Departmental Officer of the State Government

Date of Receipt of Application :

Serial Number of application :

Date of inspection :

Recommendation of Inspecting Officer :

Place : ....

Date : Signature and Designation of Inspecting Officer

Final orders of Licencing Authority

licence granted/refused :

licence Number :

Valid till :

Place : ....

Date : Signature and Designation

SCHEDULE – IIA
[See rule 11 (1)]

Form LD-1

[Application Form for Licence as Dealers in Weights & Measures under the Legal Metrology Act, 2009]

To,

1	To be filled by the applicant 2	Comments of the inspecting officer 3
1. Name of the establishment/shop/person seeking the licence.	....	....
2. Complete address of the establishment etc.	....	....
3. Date of establishment.	....	....
4. Name (s) and address (s) of proprietors and/or partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.	....	....
5. Number and date of Registration Number of current shop/establishment/Municipal Trade licence.	....	....
6. Categories of weights and measures sold/proposed to be sold at present.	....	....
7. Registration Number of VAT/CST/Sales Tax/ Professional Tax/Income Tax.	....	....
8. Do you intend to import weights, etc. from places outside the State/Country ? If so indicate sources of supply. (Give details of manufacturer's trade mark/ monogram and his licence number) and provide (a) Registration of Importer of Weights and Measures, if any (b) Approval of model imported into India by Central Government.	....	....
9. Have you applied previously for a dealer's licence, either in this State or elsewhere ? If so give details ?	....	....

To be certified by the applicant(s)

Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the name of State Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2010 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I/We agree to deposit the Scheduled licence fees with Government as soon as required to do so by the Licensing Authority.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place : ....

Date : Signature and Designation

To be filled in by Departmental Officer of the State Government

Date of Receipt of Application :

Serial Number of application :

Date of inspection :

Recommendation of Inspecting Officer :

Place : ....

Date : Signature and Designation of Inspecting Officer

Final orders of Licensing Authority

licence granted/refused :

licence Number :

Valid till :

Place : ....

Date : Signature and Designation

SCHEDULE -IIB
[See rule 11 (2)]

Form LM-2

[Application for renewal Licence as Manufacturer of Weights & Measures under the Legal Metrology Act, 2009]

To,

1	To be filled by the applicants 2	Comments of the inspecting officer 3
1. Name and complete address of the manufacturing concern for which renewal of licence is desired.	....	
2. Manufacturing Licence No.	....	
3. Name (s) and address (s) along with their father's/ husband's name of proprietor (s) and/or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.	....	
4. (a) Type of weights and measures which are manufactured as per licence granted.	....	
(b) Do you propose any change.	....	
5. The monogram or trade marks used on weights and measures manufactured by you.	....	
6. Details of workshop facilities available.	....	
7. Details of production and sales in the last 5 years.	....	
8. Number and date of shop/establishment Registration Number.	....	
9. Registration Number of VAT/Sales Tax/CST/ Professional Tax/Income Tax.	....	

To be certified by the applicant (s)

Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the name of state ------ Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2010 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I/We have deposited the Scheduled licence fees of Rs. ....(Rupees ....) to the Sub-Treasury/Bank on .... and the original challan is enclosed.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place : ....

Date : Signature and Designation

SCHEDULE IIB
[See rule 11 (2)]

Form LR-2

[Application for renewal Licence as repairer of Weights & Measures under the Legal Metrology Act 2009]

To,

		To be filled by the applicants	Comments of the inspecting officer
	1	2	3
1.	Name and complete address of the repairing concern/ person seeking renewal of the licence .	....	
2.	Repairer's Licence Number.	....	
3.	Name (s) and address (s) along with their father's/ husband's name of proprietor (s) and/or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.	....	
4.	Registration Number and date of current shop/establishment/Municipal Trade Licence.	....	
5.	Registration Number of VAT/ Sales Tax/CST/Professional Tax/Income Tax.	....	
6.	(a) The Type of weights and measures repaired as per licence granted.	....	
	(b) Do you propose any change.	....	
7.	Area in which you are operating.	....	
8.	Have you sufficient stock of loan/test weights, etc.?	....	
9.	Please give details with particulars of stamping	....	

To be certified by the applicant (s)

Certified that I/ We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the ...(name of state) Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2010 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I/We have deposited the Scheduled licence fees of Rs. .... (Rupees ....) to the Sub-Treasury/ Bank on .... and the original challan is enclosed.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place :

Date :

....

Signature and Designat

SCHEDULE IIB
[See rule 11 (2)]

Form LD-2

[Application for renewal Licence as Dealer in Weights & Measures under the Legal Metrology Act 2009]

To,

1		To be filled by the applicants 2	Comments of the inspecting officer 3
1.	Name of the establishment/shop/person seeking the renewal of licence .	....	
2.	Dealer's Licence Number.	....	
3.	Date of establishment.	....	
4.	Name (s) and address (s) along with their father's/ husband's name of proprietor (s) and/or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.	....	
5.	Registration Number and date of shop/establishment/ current Municipal Trade Licence.	....	
6.	Categories of weights and measures sold at present.	....	
7.	Registration Number of VAT/ CST/Sales Tax/ Professional Tax/Income Tax.	....	
8.	Are you intending to import weights and measures etc. from places outside the State/Country? If so, indicate sources of supply from the State (s)/Country (s). (Give details of manufacturer's trade mark/monogram and his licence number.)	....	

To be certified by the applicant (s)

Certified that I/We have the Legal Metrology Act, 2009 and the (name of state) Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2009 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I/We have deposited the Scheduled licence fees of Rs. .... (Rupees ....) to the Sub-Treasury/Bank on .... and the original challan is enclosed.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place :
Date :

....
Signature and Designation.

SCHEDULE III
[See rule 11 (3)]

Licensing Forms

FORM LM-3
Government of ----------------
Office Of The Controller Of Legal Metrology

Licence to manufacture, weights, measures, weighing or measuring instruments.

Licence No............................. Year ....

1- The Controller of Legal metrology hereby grants to ....
(Name and address of party or parties) a licence to manufacture the following:-
(Include details of the weights, measures, weighting instruments or measuring instruments that are licenced to be manufactured by the party).

2- The licence is valid for the party named above in respect of his workshop located at ....

3- This licence is valid from .... to ....

4- The manufacturer shall comply with the conditions noted below. If he fails to comply with anyone of these, his licence is liable to be cancelled.

5- The trade mark monogram being used by the manufacturer is as under.

....
(Signature)
Controller of legal Metrology
Govt. of--------------

(Seal)

Date ....
Place ....

Note: In the case of firm, its name with the names of all names of all persons having interest in the business should be given in paragraph 1.

CONDITIONS OF LICENCE

1. The person in whose favour this licence is issued shall. -
   - (a) Comply with all the relevant provisions of the Act and Rules for the time being in force;
   - (b) Not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act. or the Rules amended from time to time;
   - (c) Exhibit this licence in some conspicuous part of the premises to which it relates;
   - (d) Comply with any general or special directions that may be given by the Controller of legal metrology;
   - (e) Surrender the licence in the event of closure of business and/ or cancellation of Licence;

(f) Present the weights, measures, weighing or measuring instruments as the case may be manufactured and meant for use within the State, to the legal metrology officer for verification and stamping before sale;

(g) Submit the application for renewal of this licence as required under the rules within thirty days of expiry of the validity of the licence.

2. Every condition prescribed after the issue of this licence shall if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the licence has been granted.

Renewal entries

Current No.................Date .... Renewed for Seal Controller of Legal Metrology	Current No.................Date .... Renewed for Seal Controller of Legal Metrology
Current No.................Date .... Renewed for Seal Controller of Legal Metrology	Current No.................Date .... Renewed for Seal Controller of Legal Metrology

SCHEDULE III
[See rule 11 (3)]

Licencing Forms

FORM LR-3
Government Of ---------------------------

Office Of The Controller Of Legal Metrology

Licence To Repair Weights, Measures, Weighing Instrunents Or Measuring Instruments

Licence No .... Year ....

1- The Controller of legal metrology hereby grants to ....
(Name and address of Party or Parties) a licence to repair the following:-
(Include details of the types of weights, measures, weighing instruments or measuring instruments that are licenced to be repaired by the party)

2- The licence is valid for the party named above in respect of his workshop located at ....

3- This licence is valid from .... to ....

4- The repairer shall comply with the conditions noted below. If he fails to comply with any one, his licence is liable to be cancelled.

5- The party is licenced to repair weights, measures, weighting and measuring instruments in the areas mentioned below -

(Signature)
Controller of Legal Metrology

(Seal)

Date.......................

Place.......................

Note: In the case of firm, its name with the names of all persons having any interest in the business should be given in paragraph (1).

Conditions of Licence

1. The person in whose favour this licence is issued shall. -
   (a) Comply with all the relevant provisions of the Act and Rules for the time being in force;
   (b) Not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act or the Rules for the time being in force;
   (c) Exhibit this licence in some conspicuous part of the premises to which it relates;
   (d) Comply with any general or special directions that may be given by the Controller of legal metrology;
   (e) Surrender the licence in the event of closure of business and/or cancellation of Licence;

(f) (i) Present the weights, measures, weighing or measuring instruments as the case may be duly repaired to the legal metrology officer for under taking verification and stamping as specified in rule 14(1), before delivery to the user.

(ii) In the case of weights, measures weighing or measuring instruments, if they are serviced/repaired before the date on which the verification falls due and where, in the process and the verification stamp of the legal metrology officer is defaced, removed or broken, they shall be presented duly repaired to the legal metrology officer for re-verification and stamping before delivery to the user.

(g) Submit the application for renewal of this licence as required under the rules within ninety days of expiry of the validity of the licence.

2. Every condition prescribed after the issue of this licence shall, if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the licence has been granted."

Renewal Entries

Current No..................Date .... Renewed for Seal Controller of Legal Metrology	Current No..................Date .... Renewed for Seal Controller of Legal Metrology
Current No..................Date .... Renewed for Seal Controller of Legal Metrology	Current No..................Date .... Renewed for Seal Controller of Legal Metrology

SCHEDULE-III
[See rule 11 (3)]

Licencing form

FORM – LD- 3

Government of -----------------------------
Office of the controller of legal metrology

Licence to a dealer in weights, measures, weighing instruments or measuring instruments

Licence No. .... Year ....

1- The controller of legal metrology hereby grants to .... (Name and address of party or parties) a licence to deal in the following (Indicate details of the types weights and measures, weights, or measuring instruments that are licenced to be dealt with by party)

2- The licence is valid for the party named above in respect of his premises located at

3- This licence is valid form .... To. ....

4- The dealer shall comply with the conditions noted below. If he fails to comply with any one of those his licence is liable to be cancelled.

(Seal) (Signature)

Date .... Controller of Legal Metrology

Place.................. -----------------------

Note: In the case of firm its name with the names of all persons having any interest in the business should be given in paragraph (1).

CONDITIONS OF LICENCE

1. The person in whose favour this licence is issued shall. -
   (a) Comply with all the relevant provisions of the Act and Rules for the time being in force;
   (b) Not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act. or the Rules for the time being in force;
   (c) Exhibit this licence in some conspicuous part of the premises to which it relates;
   (d) Comply with any general or special directions that may be given by the Controller of legal metrology;
   (e) Surrender the licence in the event of closure of business and/or cancellation of Licence;

(f) Submit the application for renewal of this licence as required under the rules within ninety days of expiry of the validity of the licence.

(g) Not sell or offer, expose or possess for sale any non-standard weight or measure.

2. Every condition prescribed after the issue of this licence shall, if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the licence has been granted.

Renewal Entries

Current No................Date .... Renewed for Seal Controller of Legal Metrology	Current No................Date .... Renewed for Seal Controller of Legal Metrology
Current No................Date .... Renewed for Seal Controller of Legal Metrology	Current No................Date .... Renewed for Seal Controller of Legal Metrology
Current No................ Date .... Renewed for Seal Controller of Legal Metrology	Current No................ Date .... Renewed for Seal Controller of Legal Metrology

SCHEDULE – IV
[See rule – 11 (4) & (5)]

Government of ....
Office of Controller of Legal Metrology

Licencing and renewal fees for manufacturers, repairers of dealers of weights and measures Issue of licence / renewal of licence to:

(i) Manufacturers	Rs. 500/-
(ii) Rcpairers	Rs. 100/-
(iii) Dealers	Rs. 100/-

SCHEDULE–V
[See rule 11 (6)]

Government of ....
Office of Controller of Legal Metrology

Register of licenced manufacturers/ Repairers/ Dealers of weights, measures, weighing / measuring instruments

Office of ....

Licence Number	Date of issue/ renewal	Name and complete address of the manufacturer/repairer/dealer	Place where workshop/ factory is situated	Articles to be manufactured/ repaired/ sold	Trade mark/ monogram being used	Orders regarding cancellation of licence	Result of appeal	Signature of competent authority	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Note: Column (4) does not apply to dealers, column (6) does not apply to repairers and dealers.

SCHEDULE-VI
[See rule 11(8)]

Government of ....
Office of Controller of Legal Metrology

Security deposit to be made by licencee repairer

Repairer of weights and measures including weighing and measuring instruments.	Rs. 200.00

SCHEDULE – VII

[See rule 13]

Register to be maintained by the manufacturers of weights and measurers.

1- Name and address of the manufacturer ....

2- Description of the weight or measure ....

3- (i) No. of the manufacturing licence ....

(ii) Date on which the licence was issued ....

(i) Period of validity of the licence ....

4- Particulars of order, if any, suspending or revoking .... the licence.

S.No.	Month	Unsold stock from previous month	Quantity manufactured during the month	Total 3+4	Sold within the state	
					No. of item sold	Dispatch voucher no. and date
1	2	3	4	5	6	7

Sold outside the state		Dispatch voucher no. and date	Total sold (6+9)	Balance (5-11)	Remarks
Name of the state	No. of items sold				
8	9	10	11	12	13

SCHEDULE – VII
[See rule 13]

Form LR-4

Register to be maintained by the repairer in respect of weights, Measures

Name and address of the repairer .... Licence No.......................

Date of Licensing ....

S. No.	Date	Name of the user from whom received	Items and their Nos. booked for repair	Receipt No. and date of issue to the user
1	2	3	4	5

Amount of repairing charges	Amount of verification fee	Total amount charged	Date of return to the user	Remarks
6	7	8	9	10

SCHEDULE – VII
[See rule 13]

LD-4

Register to be maintained by dealer in weights and measures.

1- Name and address of the dealer ....

2- Description of the weight or measure ....

3- (i) Dealer licence No. ....

(ii) Date on which the licence was issued ....

(iii) Period of validity of licence ....

4- Particulars of order, if any suspending or ....
Revoking the licence.

5- Category of weight or measure ....
(Category A or B)

Sr. No.	Month	Unsold stock from the previous month	Brought from within the state during the month	Brought from outside the state during the month	Total (3+4+5)
1	2	3	4	5	6

Sold within the state		Sold outside the state			Total sold (7+9)	Balance (6-12)	Remarks
No. of items sold	Dispatch voucher no. and date	No. of items sold	Dispatch voucher No. and date	Name of the state			
7	8	9	10	11	12	13	14

SCHEDULE – VIII
[See rule 16 (3)]

Government of -----------------
Office of the Controller, legal metrology,
Certificate of verification

Name of Legal Metrology Officer .... No..................................

I hereby certify that I have this day verified and stamped / rejected the under mentioned weights, measurers, etc.

Belonging to .... Locality ....

Quantity	Denomination		Weighing instruments				Measuring instru- ments	Verification Fee Rs. p	Carriage, conveyance adjusting charges etc.
	Weights	Measures	Capacity	Class	Manu- facturer	Type			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Total Rs. .... deposited vide T. Receipt/ Money receipt .No. .... dated ....

Repaired by/ Used by

.... (Signature)

Next verification due on ....

Legal Metrology Officer

Note:- In the case of rejected weights, measures, etc the legal metrology officer shall give separate Certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

SCHEDULE-IX
[See Rule 17 (1)]

Fee payable for verification and Stamping of Weights and Measures and Weighing and Measuring Instruments

1- (a) Bullion Weights:

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
10 Kg.	30.00
5 Kg.	20.00
2 Kg.	20.00
1 Kg.	20.00
500 g.	15.00
200 g.	15.00
100 g.	15.00
50 g.	15.00
20 g.	15.00
10 g.	15.00
5 g.	15.00
2 g.	15.00
1g	15.00

(b) **Carat Weights:**

100g (500 c)	20.00
40g (200 c)	20.00
20g (100 c)	20.00
10g (50 c)	20.00
4g (20 c)	20.00
2g (10 c)	20.00
1g (5 c)	20.00
400mg (2 c)	20.00
200mg (1 c)	20.00
100mg (0.5 c)	20.00
40mg (0.02 c)	20.00
20mg (0.01 c)	20.00
10mg (0.05 c)	20.00
4mg (0.02c)	20.00
2mg (0.01 c)	20.00
1mg (0.005c)	20.00

(c) Cylindrical knob type weights:

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
10 Kg.	20.00
5 Kg.	20.00
2 Kg.	15.00
1 Kg.	10.00
500 g.	5.00
200 g.	5.00
100 g.	5.00
50 g.	5.00
20 g.	5.00
10 g.	5.00
5 g.	5.00
2 g.	5.00
1g	5.00

(d) Sheet metal Weight (other than Bullion)

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
500 mg.	5.00
200 mg.	5.00
100 mg.	5.00
50 mg.	5.00
20 mg.	5.00
10 mg.	5.00
5 mg.	5.00
2 mg.	5.00
1 mg.	5.00

(e) Iron hexagonal, knob type weights and parallelepiped weights:

Denomination (1)	Fee per piecc (Rs.) (2)
50 Kg.	25.00
20 Kg.	20.00
10 Kg.	20.00

5 Kg.	20.00
2 Kg.	15.00
1 Kg.	10.00
500 g.	5.00
200 g.	5.00
100 g.	5.00
50 g.	5.00
20g	5.00
10g	5.00
5g	5.00
2g	5.00
1g	5.00

(e) Standard weights for testing of high capacity weighing machines:

Denominations	Fee corresponding to Max permissible relative error 0.5/10000 in Rs.	Fee corresponding to Max permissible relative error 3.3/10000, 1.7/10000 and 1.0/10000 in Rs.
100kg	75.00	50.00
200kg	150.00	100.00
500kg	300.00	200.00
1000kg	750.00	500.00
2000kg	1500.00	1000.00
5000kg	3000.00	2000.00

2- **Capacity Measures :**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
100 litre and above	Rs. 50 for the Ist 100 litre plus Rs. 7 for every additional 100 litre or part thereof subject to maximum of Rs. 5000.
50 l	50.00
20 l	20.00
10 l	20.00
5 l	10.00
2 l.	10.00
1 l	10.00

500 ml	10.00
200 ml	10.00
100 ml	10.00
50 ml	10.00
20 ml	10.00
10 ml	10.00
5 ml	10.00
2 ml	10.00
1 ml	10.00

3- **Length Measures :**

(a) **Non-Flexible –**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
2 m.	10.00
1 m.	10.00
0.5 m.	20.00
1 m. graduated (at every cm)	20.00
0.5 m. graduated (at every cm)	20.00

(b) **Fabric Plastic/ Woven/Steel tapes –**

Accuracy Class (1)	Fee per metre in Rs.
Class-I	1.00
Class-II	0.50
Class-III	0.50

(c) **Folding Scales –**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
1 m.	10.00
0.5 m.	10.00

(d) **Surveying Chain –**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
30 m.	100.00
20 m.	100.00

4- **Beam Scale Class A & B:**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
200 kg.	400.00
100 kg.	300.00
50 kg.	150.00
20 kg.	150.00
10 kg.	150.00
5 kg.	100.00
2 kg.	100.00
1 kg.	100.00
500 g and below	60.00

5- **Beam Scales Class C& D:**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
1000 kg.	200.00
500 kg	200.00
300 kg	200.00
200 kg	100.00
100 kg	100.00
50 kg	20.00
20 kg	20.00
10 kg	20.00
5 kg	15.00
2 kg	15.00
1 kg	15.00
500 g and below	10.00

6- **Non-Automatic Weighing Instruments - Mechanical (analogue) Class III & IIII :**

400 t	4000.00
300 t	3000.00
200t	3000.00
150 t	2000.00
100 t	2000.00
80 t	2000.00
60 t	2000.00

50 t	2000.00
40 t	2000.00
30 t	2000.00
25 t	2000.00
20 t	2000.00
15 t	2000.00
10 t	1000.00
5 t	500.00
3 t	400.00
2 t	400.00
1500 kg	300.00
1000 kg	300.00
500 kg	300.00
300 kg	200.00
250 kg	200.00
200 kg	100.00
150 kg	100.00
100 kg	100.00
50 kg	100.00
30 kg	100.00
25 kg	60.00
20 kg	60.00
15 kg	30.00
10 kg	30.00
5 kg	30.00
3 kg	30.00
2 kg	30.00
1 kg	15.00
500 g. and below	15.00

7- **Non-Automatic Weighing Instruments - Electronic Class III & IIII :**

400 t	4000.00
300 t	3000.00
200t	3000.00
150 t	2000.00
100 t	2000.00
80 t	2000.00

60 t	2000.00
50 t	2000.00
40 t	2000.00
30 t	2000.00
25 t	2000.00
20 t	2000.00
15 t	2000.00
10 t	1000.00
5 t	1000.00
3 t	500.00
2 t	500.00
1500 kg	250.00
1000 kg	250.00
500 kg	250.00
300 kg	200.00
250 kg	200.00
200 kg	200.00
150 kg	200.00
100 kg	200.00
50 kg	200.00
30 kg	200.00
25 kg	200.00
20 kg	100.00
15 kg	100.00
10 kg	100.00
5 kg	100.00
3 kg	100.00
2 kg	100.00
1 kg	100.00
500 g. and below	100.00

8- **Not Automatic Weighing instruments both mechanical and electronics class I & II:**

Capacity	Fee (Rs.)
Exceeding 50 t	3000.00
Not exceed 50t but exceed 10t	2000.00
Not exceed 10t but exceed 1t	1000.00
Not exceed 1t but exceed 50kg	500.00
Not exceed 50kg but exceed 10kg	250.00
Not exceed 10kg	200.00

8- Automatic Weighing Instrument :

Capacity	Fee in Rs.
Exceeding 100 t	4000.00
Not exceeding 100t but exceeding 50t	3000.00
Not exceeding 50t but exceeding 10t	2000.00
Not exceeding 10t but exceeding 1t	1000.00
Not exceeding 1t but exceeding 50kg	500.00
Not exceeding 50kg but exceeding 10kg	250.00
Not exceeding 10kg	200.00

9- Volumetric measuring instruments :

(a) Dispensing pumps each pump : Rs.1000.00 per unit

(b) Totalizing counter : Rs. 500.00 per unit

(c) Other instruments :

Capacity	Fee in Rs.
Exceeding 100 litre	Rs. 500 for the Ist 100 liters plus Rs. 250 for every additional 100 liters or part thereof
Not exceeding 100 litre but exceeding 50 litre	500.00
Not exceeding 50 litre but exceeding 20 litre	250.00
Not exceed 20 litre	200.00

10- Flow meters :

Flow rate up to 100 litre/ min. Rs.2000.00

Above 100 litre/ min upto 500 litre/ min Rs.3000.00

Above 500 litre /min. Rs.5000.00

11- Linear Measuring Instruments :

Taxi, Autorishaw meters Rs.100.00

Other meters Rs.50 for the Ist 1000 m. or part there of Plus Rs. 5.00 for every additional 100 m. or part thereof

12- Clinical Thermometer Rs. 0.50 per unit

13- Water meter Rs. 25.00 per unit

14- Peg Measure :

30 ml	50.00
60 ml	50.00
100 ml	50.00

15. CNG Dispensers : Rs. 1000.00 per unit

16. LPG Dispensers : Rs. 1000.00 per unit

SCHEDULE -X

[See rule 26(1)]

Form of appeal against an order of a Legal Metrology Officer/ Controller Legal Metrology:-

1- Name and address of the appellant

2- No. and date of order of Legal Metrology Officer/Controller of Legal Metrology against which the appeal is preferred.

3- Whether the appellant desires to be heard in person or through an authorized representative.

4- Grounds of appeal

SCHEDULE -XI
[See rule 27]

Compounding fees for various offences

Sr. No.	Section and nature of offence	Penal Section	Compounding fine/amount
1	S. 8(3) Use of weight, measure or numeration other than the Standard weight, measure or numeration	25	Rs.2500.00
2	S. 8(4) Manufacture of weight or measure not conforming to Standards	27	Rs.2000.00
3	S. 10 Transaction or dealing or contract in respect of goods etc , by weight , measure or number than prescribed.	28	Rs.1000.00
4	S. 11 Quote or make announcement or issuc or exhibit of price list or changing of price than in accordance with standard unit of weight or measure or numeration.	29	Rs.1000.00
5	S. 12 Demanding or receiving any articles or thing on service in excess or less than the quantity specified by contract or agreement.	30	Rs.1000.00
6.	S. 17 Maintenance of records, registers by manufacturer, dealer or repairer and production of weight, measure document, register on demand	31	Rs.500.00
7	S.18(1) Compliance of declaration in respect of pre-packaged commodity by manufacturer/ dealer	36(1)	Rs. 2500.00
8	S. 18(1) Compliance of net quantity-requirement of pre-packaged commodity by manufacturer	36(2)	Rs.10000.00
9	S. 23 Manufacturer of weight or measure only with licence	45	Rs.5000.00
10	S. 23 Repair / sale of weight or measure only with licence	46	Rs.2000.00
11	S. 24 Use of verified weight or measure in transaction or protection	33	Rs. 5000.00
12	S. 33 Sale of weight or measure without verification.	33	Rs. 2000.00
13	S. 34 Sale or delivery of commodities by non-standards weights & measures.	34	Rs. 2500.00
14	S. 35 Rendering service by non-standard weights or measure.	35	Rs. 2500.00
15	S. 47 Tampering with license	47	Rs. 5000.00
16	S. 53(3) Provision of any rule made under the Act	53(3)	Rs. 500.00

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.